



बिहार राजपट

असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

(सं० पटना २७९)

९ दिसंबर १९२९ (सं०)

पटना, शुक्रवार, ३० मार्च, २००७

विधि विभाग

अधिसूचना

३० मार्च, २००७

सं० एल० जी०-१-१५१-२००७-लेज-९५ बिहार विधान मंडल द्वारा पथ्यापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर राज्यपाल दिनांक ३० मार्च २००७ को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है :-

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सजय कुमार,
सरकार के विशेष सचिव ।

[बिहार अधिनियम 7, 2007]

बिहार पुलिस अधिनियम, 2007

प्रस्तावना । - यह कि, व्यक्तियों के मानव अधिकारों का संवर्द्धन और उनके प्रति आदर तथा उनके सिविल, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों का संरक्षण करना, कानून का प्रथम दायित्व है;

और, यह, कि, राज्य का यह संवैधानिक दायित्व है कि वह आप्रसंख्यकों सहित समाज के कमजोर वर्गों के हितों की सुरक्षा के लिए निष्पक्ष और सक्षम पुलिस सेवा उपलब्ध कराए और नागरिकों की प्रजातान्त्रिक भावनाओं का आदर करे;

और, यह, कि, ऐसे कार्यक्रम के लिए यह आवश्यक है कि पुलिस कार्मिक पेशेवर रूप से संगठित, सेवा उन्मुखी, बाहरी प्रभावों से मुक्त और कानून के प्रति जवाबदेह हों;

और, यह, कि, पुलिस और राज्य की सुरक्षा के समक्ष उभरती हुई चुनौतियाँ, सुशासन के प्रबन्धों और मानव अधिकारों के प्रति आदर को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस की भूमिका, इसके कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों की पुनः व्याख्या करना आवश्यक है;

और, यह, कि, पुलिस को समुचित रूप से सशक्त बनाना आवश्यक है ताकि यह एक कार्यकुशल, प्रभावी, लोगों के अनुकूल और उत्तरदायी एजेंसी के रूप में कार्य करने में सक्षम हो सके;

अतः अब इस उद्देश्य के लिए, पुलिस सेवा की स्थापना और प्रबन्धन के सम्बन्ध में एक नया कानून अधिनियमित किया जाना आवश्यक था । भारत गणराज्य के अठ्ठावनवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो । -

अध्याय I

प्रारम्भिक :

- संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ । -
 - (क) यह अधिनियम बिहार पुलिस अधिनियम, 2007 कहा जा सकेगा ।
 - (ख) यह उस तारीख को लागू होगा जो कि सरकार अधिसूचना द्वारा निश्चय करे ।
 - (ग) इसका विस्तार राष्ट्रपति बिहार राज्य में होगा ।
- परिभाषाएँ । -
 - (1) इस अधिनियम में जब तक कि सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो;
 - (क) "अधिनियम" का तात्पर्य बिहार पुलिस अधिनियम, 2007 है;
 - (ख) "पशु" में सोम वाले पशु के अलावा हथी, उँट, घोड़ा, गधा, खच्चर, भेड़, बकरी और सूअर शामिल हैं;
 - (ग) विदेश में जनसंख्या के किसी समूह या वर्ग द्वारा, भारत के किसी भू-भाग को अलग करने सहित किसी राजनीतिक उद्देश्य से, राज्य के विरुद्ध किया गया सशस्त्र संघर्ष शामिल है;
 - (घ) "आन्तरिक सुरक्षा" का तात्पर्य, राज्य के भीतर विघटनकारी और राष्ट्र-विरोधी ताकतों से राज्य की संप्रभुता और एकता का संरक्षण है;
 - (ङ) "उपद्रवी गतिविधियों" में किसी समूह द्वारा, अपने राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, विस्फोटकों, ज्वलनशील पदार्थों, आग्नेय शस्त्रों या अन्य घातक हथियारों या खतरनाक पदार्थों का प्रयोग करते हुए की जाने वाली हिंसक कारवाही शामिल है;
 - (2) "संगठित अपराधों" में, व्यक्तियों के किसी समूह या नेटवर्क द्वारा गैर कानूनी लाभ लेने के आशय से हिंसक तरीकों या धमकी या हिंसा का प्रयोग करते हुए किया गया कोई अपराध शामिल है;
 - (3) "आतंकवादी गतिविधियों" में किसी व्यक्ति या किसी समूह द्वारा, समाज या समाज के किसी वर्ग में आतंक फैलाने और विधि-सम्मत सरकार को उखाड़ने के उद्देश्य से, विस्फोटकों या ज्वलनशील पदार्थों या आग्नेय शस्त्रों या अन्य घातक हथियारों या हानिकारक नैसर्गिक या अन्य रसायनों अथवा अन्य किसी प्रकार के खतरनाक पदार्थों का प्रयोग करते हुए की जाने वाली कारवाही शामिल है;

- (ज) "साइबर अपराध" में शामिल है सुचना प्रौद्योगिकी आधारभूत ढांचा से संबंधित आधुनिक क्रियाकलाप, गैरकानूनी पंहुन (अप्रामादित पंहुन) गैरकानूनी अवरोध (तकनीकी माध्यम से कम्प्यूटर प्रणाली को, उससे या इसके भीतर अंकड़े का गैर सार्वजनिक प्रेषण), अंकड़े का हस्तक्षेप(कम्प्यूटर अंकड़े का अप्रामादित क्षति, विलोपन, ह्रास, परिवर्तन, छिपाना), प्रणाली में हस्तक्षेप (कम्प्यूटर अंकड़े डालने, प्रेषण, क्षति, विलोपन, ह्रास, परिवर्तन या छिपाने की क्रिया द्वारा कम्प्यूटर प्रणाली के कार्यक्रम में हस्तक्षेप) उपकरणों का दुरुपयोग, धोखाधड़ी (आई डी की चोरी) और इलेक्ट्रॉनिक फसट ।
- (झ) "नैतिक अयमता" से तात्पर्य है किसी अपराध में संलिप्त जिरमें हिंसा, छल, धोखाधड़ी, ड्रग्स या राज्य के विरुद्ध कोई अपराध में शामिल है या इससे संबंधित ऐसे अपराध जिसमें 3 साल या उससे अधिक की सजा विहित है;
- (ञ) "सरकार" से तात्पर्य है बिहार राज्य सरकार;
- (ट) "मुख्य सचिव" से तात्पर्य है सरकार के मुख्य सचिव;
- (ड) सार्वजनिक आरोग्य स्थल और सार्वजनिक मनोरंजन स्थल का आशय ऐसी स्थल से है जहां जनता आरोग्य मनोरंजन स्थल में शुल्क सहित या बिना शुल्क के प्रवेश कर सकती है और इसमें निम्नलिखित शामिल है:-
1. शिनिंग
 2. थियेटर
 3. डिवाइड स्थल
 4. स्टेडियम इत्यादि
- (ड) "पुलिस जिला" से तात्पर्य इस अधिनियम के अध्याय II के खण्ड 7 के तहत अधिसूचित किए गए भू-भाग से है जो राजस्व जिला से भिन्न है;
- (ड) "पुलिस अधिकारी" से तात्पर्य इस अधिनियम के तहत गठित बिहार पुलिस सेवा के किसी सदस्य से है;
- (ण) सार्वजनिक स्थल का आशय ऐसे स्थल से है जहां जनता प्रवेश कर सकती है और इसमें निम्नलिखित शामिल है:-
- (i) कोई सार्वजनिक इमारत तथा स्मारक भवन और उसकी प्रतीमार्य; और
 - (ii) कोई भी ऐसा स्थान जो जनता को पानी प्राप्त करने, खेने या स्नान करने अथवा मनोरंजन के प्रयोजनों के लिए सुलभ है;
- (त) "नियमनों" का आशय इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमनों से है;

- (थ) "नियमों" का आशय इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों से है;
- (द) "मजिस्ट्रेट" से तात्पर्य ऐसे कार्यपालक मजिस्ट्रेट से होगा जैसा कि दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन परिकल्पित है ।
- (घ) "जिला मजिस्ट्रेट" से तात्पर्य होगा सरकार द्वारा एक या एक से अधिक जिलों के लिए नियुक्त जिला मजिस्ट्रेट ।
- (न) "अनुमंडल मजिस्ट्रेट" शब्दों से तात्पर्य होगा सरकार द्वारा एक या एक से अधिक अनुमंडल के लिए नियुक्त अनुमंडल अधिकारी ।
- (प) "जिला पुलिस अधीक्षक" में शामिल होगा दत्त जिला सहित किसी जिला में इस अधिनियम के अधीन जिला पुलिस अधीक्षक के सभी या किसी कार्यव्य के नियुक्तन के लिए सरकार द्वारा नियुक्त कोई सहायक जिला अधीक्षक या कोई व्यक्ति ।
- (फ) "सम्पत्ति" में कोई भूत, अचल सम्पत्ति बैंक खाता, किसी प्रकार का निवेश या बहुमूल्य प्रतिभूति शामिल होगी ।
- (ब) "जिला" से तात्पर्य है संविद प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत जिला के रूप में अधिसूचित राज्य भू-भाग ।
- (भ) "अधीनस्थ की शक्ति" से तात्पर्य है और इसके अन्तर्गत अनुसंधान से संबंधित सभी कार्यपालक और प्रशासनिक मामलों में निर्देश, मार्गदर्शन और हिरायत देने की शक्ति शामिल है तथा इसके अन्तर्गत दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (केन्द्रीय अधिनियम 1974 का 2) के उपबंधों के तहत शक्ति प्रदत्त किसी पराधिकारी द्वारा ऐसे मामले में निर्गत किसी प्रशासनिक आदेश को निरस्त, पलटने, मंसूख पुनरीक्षण करने की शक्ति भी शामिल है।
- (म) "पदों" से तात्पर्य होगा और इनमें अधीनस्थ पद और पर्यवेक्षीय पद शामिल होंगे ।
- (य) "पर्यवेक्षीय पदों" से तात्पर्य होगा उप/सहायक पुलिस अधीक्षक और उनसे ऊपर के पद ।
- (कञ) "अधीनस्थ पदों" का आशय सहायक पुलिस अधीक्षक अथवा पुलिस उप अधीक्षक के स्तर से नीचेले स्तर के सदस्यों से है;
- (ख-ख) "निर्धारित" से तात्पर्य है नियम, आदेश परिषद, अधिसूचना आदि के माध्यम से सरकार द्वारा निर्धारित ;
- (2) इस अधिनियम में प्रयोग किए गए ऐसे शब्दों और वाक्यांशों, जिनकी कोई विशिष्ट व्याख्या नहीं दी गई है, का आशय वही होगा जो सामान्य खंड अधिनियम 1897, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 और भारतीय दंड संहिता 1860 में दिया गया है ।

अध्याय II

पुलिस सेवा का गठन एवं संगठन ।

3. राज्य के लिए पुलिस सेवा । -
सरकार के तहत इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए सम्पूर्ण पुलिस संगठन को एक पुलिस सेवा माना जायेगा । पुलिस सेवा के सदस्यों को राज्य में सेवा की विशिष्ट शाखाओं सहित किसी भी शाखा में तैनात किया जा सकेगा।
4. पुलिस सेवा का गठन । -
इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीनः
 - (1) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सरकार के अधीन सम्पूर्ण पुलिस संगठन को एक पुलिस सेवा माना जायेगा और औपचारिक रूप से नामांकन किया जायेगा एवं इसमें ऐसी संख्या में अधिकारियों एवं कर्मी तथा विशेष प्रयोजन के लिए पुलिस बल जैसे, बिहार सैन्य पुलिस एवं दंगा रोधी मिश्रित बलों की क्वेटियों होंगी जैसा कि दंगा आदी को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक समझा जाये और इसका गठन इस रीति से किया जायेगा जैसा कि सरकार द्वारा समय-समय पर आदेश दिया जाय ।
 - (2) पुलिस कर्मियों का वेतन, भत्ते, सेवा और कार्य की शर्तें वैसे ही होंगी जैसा कि नियम/अधिसूचना/आदेश इत्यादि के जरीए सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जायें ।
5. महानिदेशक, अपर महानिदेशकों, महानिरीक्षकों, उप एवं सहायक महानिरीक्षकों की नियुक्ति । -
 - (1) सरकार पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति करेगी जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा, ऐसे कार्यों एवं कर्तव्यों का निर्वहन करेगा और उसे उत्तरदायित्व एवं ऐसे प्राधिकार प्राप्त होंगे जो निर्धारित किये जायेंगे ।
 - (2) सरकार एक अथवा एक से अधिक अपर महानिदेशकों और जितने आवश्यक हों उतने महानिरीक्षकों, उप एवं सहायक महानिरीक्षकों की नियुक्ति कर सकती है ।
6. पुलिस महानिदेशक का चयन एवं कार्यकाल । -
 - (1) पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति ऐसे अधिकारियों के पैनल से की जाएगी जिसमें पुलिस महानिदेशक के पद पर पहले से कार्यरत अधिकारी अथवा ऐसे अधिकारी होंगे जिन्हें अधिल भारतीय सेवा

- अधिनियम, 1951 (केन्द्रीय अधिनियम, 1951 का 61) के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन सशक्ति द्वारा जांच के बाद पुलिस महानिदेशक के पद पर प्रोन्नति के योग्य पाया गया हो ।
- (2) इस प्रकार नियुक्त किए गए पुलिस महानिदेशक का कार्यकाल सामान्यतः दो वर्षों का होगा।
लेकिन सरकार द्वारा हटाए जाने के कारणों से जो निम्नलिखित हैं, पुलिस महानिदेशक को उसका कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व उसके पद से स्थानांतरित किया जा सकेगा:
 - (क) उसे किसी दंडित अपराध में किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया हो या भ्रष्टाचार अथवा नैतिक अधमता के किसी मामले में लिप्त होने के कारण किसी न्यायालय द्वारा उस पर आरोप लगाए गए हो; या
 - (ख) वह शारीरिक या मानसिक रोगों के कारण या किसी अन्य कारणों से अधम हो और पुलिस महानिदेशक के कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो; या
 - (ग) राज्य या केन्द्र सरकार के अधीन किसी उच्चतर पद पर प्रोन्नति के कारण अधिकारी द्वारा ऐसी तैनाती के लिए दी गई सहमति के अध्वधीन होगा ।
 - (घ) कोई अन्य प्रशासनिक कारण जो कर्तव्यों के कारण निर्वहन के दृष्टि में हो ।
7. पुलिस जिले । -
सरकार अधिसूचना के माध्यम से राज्य के भीतर किसी क्षेत्र को पुलिस जिला घोषित कर सकती है । ऐसे पुलिस जिले का पुलिस प्रशासन जिला मजिस्ट्रेट के सामान्य नियंत्रण एवं निदेश के तहत पुलिस अधीक्षक में निहित होगा जिसकी सहायता यथावश्यक और अधिसूचित अपर, सहायक या उप अधीक्षकों द्वारा की जाएगी ।
8. पुलिस थाने । -
 - (1) सरकार जनसंख्या, वेध, अपराध की स्थिति, कानून एवं व्यवस्था के संदर्भ में कार्यभार और निवासियों द्वारा पुलिस थानों में पहुंचने के लिए तय की जाने वाली दूरी को दृष्टिगत रखते हुए अधिसूचना जारी करके एक पुलिस जिले में यथावश्यक वीकियों सहित उतने पुलिस थाने स्थापित कर सकती है, जितने वह आवश्यक समझे ।
 - (2) नियंत्रण और पर्यवेक्षण के प्रयोजन से एक पुलिस सर्किल के तहत दो या अधिक पुलिस थाने रखे जा सकते हैं ।
 - (3) पुलिस थाने का प्रमुख 'थानाध्यक्ष' (स्टेशन हाउस ऑफिसर) होगा जो पुलिस अपर निरीक्षक से कम के स्तर का नहीं होगा ।

लेकिन बड़े पुलिस थानों को पुलिस निरीक्षक के स्तर के अधिकारियों के पर्यवेक्षण के तहत रखा जा सकता है।

- (4) पुलिस थानों में तैनात किये जाने वाले पुलिस कार्मिकों की संख्या उतनी ही होगी जैसा कि राज्य सरकार द्वारा सामान्य या विशेष आदेश के माध्यम से समय-समय पर निर्धारित की जाए।
- (5) महिलाओं और बच्चों के प्रति होने वाले अपराधों की शिक्षात्मक दर्ज करने और महिलाओं तथा बच्चों से संबंधित विशेष विधायनों के प्रशासन से संबंधित कार्यों का निर्वहन करने के लिए प्रत्येक पुलिस थाने में एक महिला एवं बाल संरक्षण डेस्क स्टाफ होगा जिसमें, जहां तक संभव हो, महिला पुलिस कार्मिक की तैनाती की जाएगी।
- (6) प्रत्येक पुलिस थाना, उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों तथा गिरफ्तारी के बारे में विभागीय आदेशों और गिरफ्तार किए गए और लॉक-अप में रखे गए व्यक्तियों के व्यौरों सहित सार्वजनिक किए जाने के लिए अपेक्षित हर प्रकार की प्रासंगिक जानकारी को स्पष्टतया प्रदर्शित करेगा।

9. अनुसूचित जातियों/जन जातियों पर अत्याचारों को रोकने के लिए थाने। -

- (1) सरकार अधिसूचना द्वारा अनुसूचित जातियों/जनजातियों पर अत्याचार रोकने के लिए यथापेक्षित पुलिस थाने का गठन कर सकेगी।
- (2) ऐसे थानों में दर्ज किए गए मामलों की जांच एक अधिकारी द्वारा की जाएगी जो पुलिस उप अधीक्षक की कोर्टि से नीचे का नहीं होगा।

10. अधीनस्थ पदों पर स्थानान्तरण एवं तैनाती। -

- (1) निरीक्षक से सिपाही स्तर के पुलिस अधिकारियों को किसी विशेष पद पर तैनाती जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा उसके अधिकार क्षेत्र के भीतर की जायगी। उनका कार्यकाल जिले में 6 वर्ष, रेंज में 8 वर्ष और जोन में 10 वर्ष का होगा। रेंज के भीतर एक जिला से दूसरे जिले में स्थानान्तरण समिति द्वारा किया जायगा जिसमें रेंज के पुलिस उपमहानिरीक्षक और रेंज के जिला पुलिस अधीक्षक होंगे। एक रेंज से दूसरे रेंज में स्थानान्तरण समिति द्वारा किया जायेगा जिसमें जोन के पुलिस महानिरीक्षक और जोन के सभी रेंजों के पुलिस उप महानिरीक्षक होंगे। एक जोन से दूसरे जोन में स्थानान्तरण समिति द्वारा किया जायगा जिसमें अपर पुलिस महानिदेशक और जोन के सभी पुलिस महानिरीक्षक होंगे।
- (2) थाने में दानाध्यक्ष (स्टेशन हाउस ऑफिसर) के रूप में तैनात अधिकारी अथवा पुलिस सर्जेंट या अनुमंडल के प्रभारी अधिकारी या जिला के पुलिस अधीक्षक का कार्यकाल कम से कम 2 वर्षों का होगा।

लेकिन ऐसे किसी भी अधिकारी को 2 वर्षों या अधिक के कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भी निम्नलिखित कारणों से अपने पद से स्थानान्तरित किया जा सकता है।

- (क) किसी उच्चतर पद पर प्रोन्नति, या
 - (ख) दांडिक अपराध में किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किये जाने या आरोप लगाए जाने, या
 - (ग) शारीरिक या मानसिक रोगों के कारण अक्षमता या किसी अन्य कारण से अपने कर्तव्यों के निर्वहन में असमर्थता, या
 - (घ) प्रोन्नति, स्थानान्तरण या सेवा निवृत्ति के कारण हुई रिक्ति को भरने की आवश्यकता, या
 - (ङ.) अन्य प्रशासनिक कारण जो कर्तव्यों के कारण निर्वहन के हित में हों।
11. ग्रामीण पुलिस पर जिला पुलिस अधीक्षक का प्राधिकार। -
वह घोषणा करना सरकार के लिए विधि सम्मत होगा कि पुलिस के प्रयोजनों के लिए किसी ग्रामीण पट्टेदार या अन्य ग्रामीण पुलिस अधिकारी पर ऐसे किसी प्राधिकार जिसका प्रयोग जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जा रहा है या किया जा सकेगा का प्रयोग जिला मजिस्ट्रेट के सामान्य नियंत्रण के अधीन जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा किया जायेगा।

12. जिला प्रशासन। -

- (1) बंड प्रक्रिया संहिता, 1973 और अन्य प्रासंगिक अधिनियमों के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के लिए वह आवश्यक होगा कि वह निम्नलिखित मामलों के संबंध में पुलिस के कार्यक्रम और जिला प्रशासन की अन्य एजेंसियों के बीच समन्वय बनाए:
 - (क) कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने,
 - (ख) सामाजिक सुरक्षा कानून को लागू करने,
 - (ग) प्राकृतिक आपदाओं को संभालने तथा भूमि सुधार करने,
 - (घ) किसी आन्तरिक आक्रमण से उत्पन्न स्थिति,
 - (ङ.) आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनाये रखने को सुनिश्चित करने,
 - (घ) कमजोर एवं निर्धन वर्गों के संरक्षण,
 - (छ) अनुसूचित जाति/जनजाति पर अत्याचार को रोकने,
 - (ज) मानवाधिकारों के संरक्षण, राज्य की विकसित परियोजनाओं को पूरा करने, शिक्षात्मक आदि का निवारण।

- (2) इस तरह के समन्वय के प्रयोजन के लिए जिला मजिस्ट्रेट, जिले के पुलिस अधीक्षक से और अन्य विभागों के विभागाध्यक्षों से, जब कभी

भी अपेक्षित हो, सामान्य या विशिष्ट प्रकार की जानकारी मांग सकता है। जिला मजिस्ट्रेट, स्थिति को देखते हुए समुचित आदेश पारित कर सकता है और लिखित में निदेश दे सकता है।

- (3) जिला मजिस्ट्रेट या अनुसूचित मजिस्ट्रेट कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने, अल्पसंख्यकों एवं कमजोर वर्गों की सुरक्षा, निर्वाचन एवं अन्य ऐसी उद्देश्यों के प्रयोजनों के लिए यथावश्यक पथ पर पुलिस बल की तैनाती का आदेश दे सकता है। जिला मजिस्ट्रेट यह भी सुनिश्चित करेगा कि जिला के सभी विभाग, जिगड़ी सहायता पुलिस के कारगर कार्यकरण के लिए अपेक्षित है, पुलिस अधीक्षक की पूरी सहायता करें।

13. रेलवे पुलिस। -

- (1) सरकार, सरकारी राजपथ में अभिसूचना जारी करके राज्य के उन रेलवे क्षेत्रों जो राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे, को शामिल करते हुए एक या अधिक विशेष पुलिस जिलों का सृजन कर सकती है और ऐसे प्रत्येक विशेष पुलिस जिले के लिए एक पुलिस अधीक्षक, एक या अधिक सहायक और उप पुलिस अधीक्षक और यथावश्यक संख्या में अन्य पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति कर सकती है।
- (2) ऐसे पुलिस अधिकारी, पुलिस महानिदेशक के नियन्त्रण के अधीन, रेल प्रशासन से संबंधित पुलिस कार्यों का निर्वहन अपने संबंधित कार्यालय की परिधि में करेंगे और राज्य सरकार द्वारा उन्हें समय-समय पर सौंपे जाने वाले कार्यों का भी निर्वहन करेंगे।
- (3) कोई भी पुलिस अधिकारी, जिसे राज्य सरकार इस उप-धारा के तहत कार्य करने की शक्ति सामान्य रूप से या विशेष आदेश द्वारा प्रदान करती है, सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए दिए गए किसी ऐसे आदेश के अधीन, जिले के किसी पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी के समक्ष शक्तियों का प्रयोग संबंधित विशेष जिले में या उसके किसी भाग में कर सकता है। इन शक्तियों का प्रयोग करते समय वह, उपर उल्लिखित ऐसे किसी आदेश के अधीन होगा, अपने स्टेशन की सीमाओं के भीतर किसी पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी की तरफ ही कार्यों का निर्वहन करेगा।
- (4) राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए पारित किए गए किसी सामान्य या विशेष आदेश के अधीन ऐसे पुलिस अधिकारी को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय, इस अधिनियम या उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत राज्य के प्रत्येक भाग में शक्तियां और

विशेषाधिकार प्राप्त होंगे और यह पुलिस अधिकारियों के उत्तरदायित्वों के अधीन होगा।

- (5) सरकार की पूर्वानुमति से, पुलिस अधीक्षक, इस अधिनियम के द्वारा या अन्तर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों और कार्यों का प्रयोजन किसी सहायक या उप पुलिस अधीक्षक को कर सकता है।

14. राज्य आसूचना एवं अपराध जांच विभाग। -

- (1) इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में, आसूचना का एकत्रीकरण, समाकलन, विश्लेषण और आचान-प्रदान करने के लिए एक राज्य आसूचना विभाग होगा और अंतरराज्य, अन्तर-जिला और अन्य विनिर्दिष्ट अपराधों की जांच करने के लिए एक अपराध जांच विभाग होगा।
- (2) सरकार, पुलिस महानिरीक्षक के समक्ष या उससे उच्च स्तर के एक पुलिस अधिकारी को उपर्युक्त विभागों का प्रमुख नियुक्त करेगी।
- (3) अपराध जांच विभाग में, विभिन्न प्रकार के अपराधों, जिगड़ी जांच के लिए ध्यान केंद्रित करने या विशेष परामर्श की आवश्यकता है, से निपटने के लिए विशेष स्कंध होंगे। प्रत्येक स्कंध का प्रमुख पुलिस अधीक्षक स्तर का एक अधिकारी होगा।
- (4) सरकार अपराध जांच विभाग और राज्य आसूचना विभाग में सेवा करने के लिए, कार्य की मात्रा और प्रकार को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यकतानुसार समुचित संख्या में विभिन्न स्तरों के अधिकारियों की नियुक्ति कर सकती है।

15. तकनीकी एवं सहायक सेवाएं। -

- (1) सरकार, पुलिस सेवा की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए, पुलिस महानिरीक्षक समक्ष नियन्त्रण के तहत, सहायक तकनीकी एग्रेसियों और सेवाओं का यथावश्यक सृजन करेगी और उनका रख-रखाव करेगी।
- (2) (क) इस प्रकार सृजित की जाने वाली सेवाओं में एक राज्य स्तरीय पूर्ण-सुसज्जित अपराध विज्ञान प्रयोगशाला, प्रत्येक पुलिस रेन्ज के लिए एक क्षेत्रीय अपराध विज्ञान प्रयोगशाला और वैज्ञानिक मानव शक्ति से युक्तित बल अपराध विज्ञान इकाई के यथापेक्षित सदस्य शामिल हैं।
- (ख) सरकार पुलिस व्यवस्था के सभी पहलुओं में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रयोग को प्रोत्साहन देने और बढ़ाने के लिए सभी उपाय करेगी।

- (3) सरकार, पूरे राज्य या उसके किसी भाग के लिए एक या अधिक पुलिस दूरसंचार निदेशकों, जो पुलिस उप महानिरीक्षक से कम के स्तर के नहीं होंगे, की नियुक्ति कर सकती है और उनकी सहायता के लिए यथावश्यक संख्या में पुलिस अधीक्षकों और पुलिस उप अधीक्षकों की नियुक्ति कर सकती है।
- (4) इसी प्रकार, सरकार पूरे राज्य या उसके किसी भाग के लिए एक या अधिक पुलिस परिकल्पन निदेशकों, जो पुलिस उप महानिरीक्षण से कम के स्तर के नहीं होंगे, की नियुक्ति कर सकती है और उनकी सहायता के लिए यथावश्यक संख्या में पुलिस अधीक्षकों और पुलिस उप अधीक्षकों की नियुक्ति कर सकती है।

16. संचार विभाग। -

सरकार एक पृथक संचार विभाग की स्थापना करेगी जिसमें सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित योग्य एवं अनुभव प्राप्त अधिकारी एवं कार्गिक होंगे। यह विभाग जेनरेशन, प्रसारण, अभिग्रहण, संग्रहण और सभी प्रकार के डिजिटल, सनालाग एवं अन्य डाटा में सुधार को सुनिश्चित करने के लिए संचार की सभी आपुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होगा।

17. राज्य पुलिस अकादमियों के निदेशकों और पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालयों और विद्यालयों के प्रचारकों की नियुक्ति। -

(1) सरकार राज्य स्तर पर एक पुलिस प्रशिक्षण अकादमी और अन्य प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना करेगी जो विभिन्न पदों के पुलिस कार्गिकों के प्रशिक्षण के प्रयोजन से आवश्यक हों।

18. पुलिस कार्गिक द्वारा ली जाने वाली शपथ या घोषणा। -

इस अधिनियम के तहत पंजीकृत पुलिस सेवा के प्रत्येक सदस्य को नियुक्ति होने पर और प्रशिक्षण पूरा होने पर पुलिस अधीक्षक या पुलिस महानिदेशक द्वारा नियुक्त अधिकारी के समक्ष निर्धारित रूप में शपथ लेनी होगी या घोषणा करनी होगी।

19. विशेष पुलिस अधिकारी। -

(1) कोई पुलिस अधिकारी, जो पुलिस उप अधीक्षक से नीचे के स्तर पर नहीं होगा, किसी भी समय नियुक्त आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के

लिए 18 से 50 वर्ष के बीच के आयु के शारीरिक रूप से स्वस्थ किसी व्यक्ति को पुलिस बल की सहायता के लिए विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में नियुक्त करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट को आवेदन कर सकता है।

(2) इस प्रकार नियुक्त होने पर प्रत्येक विशेष पुलिस अधिकारी :

(अ) नियुक्त होने पर निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करेगा और उसे राज्य सरकार से इस संबंध में अनुमोदित प्रपत्र में एक प्रमाण-पत्र प्राप्त करेगा; और

(ख) उसे वही शक्तियां, विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियां मिलेंगी जो एक सामान्य पुलिस अधिकारी को प्राप्त होती हैं और उन्हीं कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों के अधीन और उन्हीं प्राधिकारियों के अधीन होगा जिनके अधीन एक सामान्य पुलिस अधिकारी होता है।

20. व्यक्तियों के सागत पर नियुक्त अतिरिक्त पुलिस अधिकारी। -

जिला मजिस्ट्रेट के सामान्य निर्देश के अधीन पुलिस महानिरीक्षक या उप पुलिस महानिरीक्षक या सहायक पुलिस महानिरीक्षक या जिला अधीक्षक के लिए सामान्य पुलिस जिला के भीतर किसी स्थान पर उतने समय के लिए शांति बनाये रखने के वास्ते किसी व्यक्ति द्वारा आवेदन दिये जाने पर अतिरिक्त पुलिस अधिकारियों को प्रतिनियुक्त करना विधि-सम्मत होगा, जितना उचित समझा जाय। ऐसा पुलिस बल केवल जिला अधीक्षक के आदेश के तहत और आवेदन करने वाले व्यक्ति के खर्च पर होगा।

लेकिन ऐसे व्यक्ति के लिए, जिसके आवेदन पर ऐसी प्रतिनियुक्ति की गयी हो, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक या सहायक पुलिस महानिरीक्षक या जिला पुलिस अधीक्षक को एक माह की लिखित सूचना देकर यह गौर करना विधि-सम्मत होगा कि इस प्रकार प्रतिनियुक्त पुलिस

अधिकारियों को हटा लिया जाय और ऐसे व्यक्ति को ऐसी सूचना की समाप्ति से ऐसे अतिरिक्त पुलिस बल के खर्च से मुक्त कर दिया जायेगा।

21. रेल एवं अन्य कर्मशालाओं के निकट अतिरिक्त पुलिस बल की नियुक्ति।-

जब कभी देश के किसी भाग में कोई रेल, नहर या अन्य सार्वजनिक कार्य अथवा कोई विनिर्माण या प्राणिव्ययक कारोबार जारी रखा जाय या संचालित किया जाय तथा महानिदेशक को ऐसा प्रतीत हो कि ऐसे स्थानों में अतिरिक्त पुलिस बल की नियुक्ति ऐसे कार्य, विनिर्माण या कारोबार में लगे व्यक्तियों के गलत आचरण या गलत आचरण का सम्भावित आशंका के कारण आवश्यक हो तो सरकार की सहमति से ऐसे स्थान पर अतिरिक्त बल को तैनात करना, और ऐसी आवश्यकता धनी रहने पर उन्हें नियुक्त करना और इस प्रकार आवश्यक अतिरिक्त बल के भुगतान के लिए ऐसे कार्य, विनिर्माण या कारोबार को जारी रखने में प्रयुक्त निधि पर नियंत्रण या अभिरक्षा करने वाले व्यक्ति को समय-समय पर आदेश देना महानिरीक्षक के लिए विधि-सम्मत होगा और तत्पश्चात् ऐसा व्ययित तदनुसार भुगतान करवाएगा।

अध्याय III

पुलिस का अधीक्षण एवं प्रशासन।

22. राज्य पुलिस अधीक्षण का राज्य सरकार में निहित होना।-

राज्य पुलिस का समय अधीक्षण एवं नियंत्रण सरकार में निहित होगा।

23. राज्य पुलिस बोर्ड।-

सरकार इस अधिनियम के लागू होने के छठ माह के भीतर इस अध्याय के उपबंधों के अधीन स्थापित नये कार्यो को निष्पादन के लिए राज्य पुलिस बोर्ड स्थापित करेगी।

24. राज्य पुलिस बोर्ड की संरचना। - राज्य पुलिस बोर्ड में निम्नलिखित होंगे :

(क)	मुख्य सचिव	-	अध्यक्ष
(ख)	पुलिस महानिदेशक	-	सदस्य और
(ग)	गृह विभाग के प्रभारी सचिव	-	सदस्य सचिव

25. राज्य पुलिस बोर्ड के कार्य।-

राज्य पुलिस बोर्ड निम्नलिखित कार्यो का निष्पादन करेगा :

- (क) विधि के अनुसार पुलिस व्यवस्था को कार्यकुशल, कारगर, रविदनशील एवं जवाबदेह बनाने के लिए व्यापक नीति विषयक दिशा-निर्देश तैयार करना,
(ख) पुलिस सेवा के कार्यकरण के मूल्यांकन के लिए निष्पादन सूचक की पहचान करना। इन सूचकों में बातों के साथ-साथ ये शामिल होंगे :

पुलिस अनुसंधान एवं प्रतिधिया, जवाबदेही, संशोधनों का अधिकतम उपयोग और मानव अधिकारों के मागक के अनुपालन की सुलता में संयोजनात्मक कार्य कुशलता, लोक संतुष्टि, पीड़ित व्यक्तियों की संतुष्टि,
(ग) पहचान और निर्धारित किये गये निष्पादन सूचक और पुलिस को उपलब्ध एवं इसके नियंत्रण वाले संसाधनों के विरुद्ध राज्य में कुल मिलाकर जिलावार पुलिस सेवा के संगठनात्मक कार्यो की समीक्षा एवं मूल्यांकन।

26. मानव अधिकारों के उल्लंघन की शिकायत :-

पुलिस कार्मियों एवं अधिकारियों के विरुद्ध निम्नलिखित शक्तों से संबद्ध किसी शिकायत की शीघ्र मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के खंड-21 के तहत गठित राज्य मानवाधिकार आयोग द्वारा उसमें निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जायेगी :

- (i) मानव अधिकारों का उल्लंघन या दुस्वैरण ; या
- (ii) ऐसे उल्लंघन के निवारण में लापरवाही ।

27. पुलिस महानिदेशक की शक्ति एवं उत्तरदायित्व :-

राज्य पुलिस सेवा के मुख्या के रूप में पुलिस महानिदेशक का निम्नलिखित उत्तरदायित्व होगा :

- (क) सरकार द्वारा तैयार की गयी नीतियों, स्ट्रेटेजिक योजना और वार्षिक योजना को क्रियान्वित करना, और
- (ख) इसकी कार्यकुशलता, प्रभावकारिता, रविवदनशीलता और जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिए पुलिस सेवा का संचालन, नियंत्रण एवं परीक्षण करना ।

28. पुलिस महानिदेशक की मजिस्ट्रेट की शक्ति :-

संपूर्ण सामान्य पुलिस जिला में पुलिस महानिदेशक को मजिस्ट्रेट की शक्ति होगी लेकिन वह इन शक्तियों का प्रयोग सरकार द्वारा समय-समय पर अधिरोपित सीमाओं के अधीन करेगा ।

29. दण्ड का प्रावधान :-

संविधान के अनुच्छेद 311 के उपबंधों और ऐसे नियमों के अधीन जैसा कि सरकार समय-समय पर इस अधिनियम के अधीन बनाये, पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप-महानिरीक्षक और जिला पुलिस अधीक्षक अधीनस्थ कोई के किसी पुलिस अधिकारी को किसी भी समय बरखास्त, निराश्रित या पदावनत कर सकेगी जो उनकी राय में अपने कर्तव्य का दुस्वययोग या अपने कर्तव्य के निर्वहन में उपेक्षा करना हो या इसके

लिए अयोग्य हो अथवा अधीनस्थ कोई के ऐसे किसी अधिकारी को, जो अपने कर्तव्य के निर्वहन में लापरवाही करता हो या इसकी उपेक्षा करता हो या अपने किसी कार्य से अपने कर्तव्य के निर्वहन के लिए स्वयं को अयोग्य बना लेता हो, निम्नलिखित में से कोई एक या एक से अधिक दंड दे सकेगी:

- (क) जुर्माना जो एक माह के वेतन से अधिक नहीं होगा;
- (ख) ड्रिल, अतिरिक्त गार्ड, कठोर काम या अन्य कार्य जैसे पंड सहित या रहित क्वार्टर में परिरोध जिसकी अवधि पंद्रह दिनों से अधिक नहीं होगी;
- (ग) सजावार वेतन से बंधना;
- (घ) किसी प्रतिष्ठित पद का विशेष परिश्रमिक से निष्कासन या बंधन ।

30. स्थानान्तरण एवं तैनाती :-

(i) पश्चिमी घाट के पुलिस अधिकारियों एवं कार्मियों का स्थानान्तरण और तैनाती कार्य संचालन नियम और सरकार द्वारा समय-समय पर बनाये गये अन्य नियमों से नियंत्रित होंगे ।

(ii) अधिकारियों का कार्यकाल साधारणतः दो वर्षों का होगा लेकिन निम्नलिखित परिस्थितियों में ऐसे किसी अधिकारी को उसके पद से दो वर्ष की अवधि के कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भी स्थानान्तरित किया जा सकता है:

- (क) किसी उच्चतर पद पर प्रोन्नति, या
- (ख) दोष सिद्धि अथवा किसी दंडिक अपराध में किसी न्यायालय द्वारा लगाये गये आरोप, या
- (ग) वह शारीरिक या मानसिक रोवों के कारण या किसी अन्य कारण से असमर्थ हो और अपने कर्तव्यों के निर्वहन करने में असमर्थ हो, या

- (घ) प्रोत्साहित, स्थानान्तरण या सेवा-निवृत्ति के कारण हुई रिक्ति को भरने की आवश्यकता ।
- (ङ.) अन्य प्रशासनिक कारण जो कर्तव्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के हित में हों ।

अध्याय IV

पुलिस की भूमिका, कार्य, कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व ।

21. पुलिस की भूमिका, कार्य, कर्तव्य :-

पुलिस की भूमिका तथा कर्तव्य मुख्य रूप से निम्नलिखित हैंगि :

- (क) निष्पक्ष रूप से कानून का समर्थन करना तथा उसे लागू करना और जीवन, स्वतंत्रता, सम्पत्ति, मानव अधिकारों सहित जन्मानुभव के सदस्यों की गरिमा का संरक्षण करना;
- (ख) लोक व्यवस्था को बनाए रखना तथा उसका संवर्धन करना;
- (ग) आंतरिक सुरक्षा की रक्षा करना, आतंकवादी गतिविधियों, साम्प्रदायिक सहभाव को भंग करने वाली गतिविधियों, उग्रवादी गतिविधियों तथा आंतरिक सुरक्षा को प्रभावित करने वाली अन्य गतिविधियों को रोकना तथा नियंत्रित करना,
- (घ) उपद्रव, हिंसा या किसी अन्य प्रकार के हमलों से सड़कों, रेलवे, पुलों, महत्वपूर्ण अवसरों तथा स्थापनाओं आदि सहित सार्वजनिक सम्पत्ति की रक्षा करना;
- (ङ) अपनी निवारक कार्रवाई एवं उपायों से अपराधों को रोकना और अपराध करने के अवसरों को कम करना तथा अपराधों को रोकने के लिये की जागिरकारी कार्रवाई में अन्य संगत एजेंसियों को सहायता और सहयोग करना;
- (च) व्यक्तिगत रूप से सूचक या उसके प्रतिनिधि द्वारा उनके समक्ष साईं गयी अथवा डाक, ई-मेल, या अन्य माध्यमों से प्राप्त सभी सूचनाओं को ठीक-ठीक दर्ज करना और सूचनाओं की प्राप्ति की पावती देकर उस पर तत्काल अनुवर्ती कार्रवाई करना;
- (छ) ऐसी सूचना या अन्य माध्यमों से उनके ध्यान में लाने गए शमनीय अपराधों को दर्ज करना तथा उनमें जीव करना और प्रथम सूचना

रिपोर्ट की एक प्रति मुखविर को सम्यक रूप से उपलब्ध कराना तथा जहाँ उचित हो, अपराधियों को गिरफ्तार करना और उनके अभियोजन में अपेक्षित सहायता प्रदान करना,

- (अ) विभिन्न समुदायों में सुरक्षा की भावना पैदा करना और उसे बनाए रखना और जहाँ तक संभव हो संघर्ष को रोकना और भाईचारे को बढ़ावा देना,
- (ब) प्रथम प्रतिक्रिया प्रदर्शित करनेवाले के रूप में प्राकृतिक या मानव द्वारा सृजित आपदाओं में लोगों को सभी संभव सहायता उपलब्ध कराना और राहत एवं पुनर्वास कार्यों में अन्य एजेंसियों को सक्रिय सहायता उपलब्ध कराना;
- (ज) ऐसे व्यक्तियों की सहायता करना जिन्हें शारीरिक हानि या सम्पत्ति के नुकसान का खतरा हो तथा विपत्तिग्रस्त व्यक्तियों को आवश्यक सहायता एवं राहत उपलब्ध कराना,
- (ट) व्यक्तियों तथा वाहनों की सुलभपरिहत आवाजाही की सुविधा प्रदान करना तथा सड़कों एवं राजमार्गों पर यातायात को नियंत्रित और विनियमित करना,
- (ठ) लोक शांति तथा सभी प्रकार के अपराध और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबद्ध मामलों से संबद्ध आसूचना जमा करना तथा उसपर स्वयं समुचित रूप से कार्रवाई करने के अलावा ऐसी आसूचना सभी संबद्ध एजेंसियों के साथ उसका आदान-प्रदान करना,
- (ड) ड्यूटी निभा रहे एक पुलिस अधिकारी की तरह दावा रहित सभी संपत्ति को, अपने कब्जे में लेना और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उसकी सुरक्षित अभिरक्षा और निपटान के लिए कार्रवाई करना,
- (क) लोक प्राधिकारियों की सुरक्षा उपलब्ध कराना,
- (ण) ऐसे अन्य सभी कर्तव्यों को सामान्य और ऐसे उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना जैसा कि सरकार द्वारा अथवा तत्सम्य प्रवृत्त किसी

विधि के अधीन ऐसा निर्देश निर्गत करने के लिए शक्ति प्रदत्त किसी प्राधिकारी द्वारा उन्हें आदेश दिया जाय,

- (त) घने में आदी अपराधियों एवं संगठित अपराधों में संलिप्त व्यक्तियों का रेकार्ड रखना और उसे प्रदर्शित करना ।
32. पुलिस अधिकारियों द्वारा डायरी का रखा जाना ।-
- धाना के प्रत्येक प्रभारी अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि यह सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित फारम में सामान्य डायरी रखे तथा उनमें सभी सूचना तथा लगाये गए आरोप, गिरफ्तार किए गए सभी व्यक्तियों के नाम, मुखविर के नाम एवं अपराध, उनके कब्जे से लिये गए हथियार या सम्पत्ति अथवा अन्य सामान और गवाहों के नाम जिनकी जांच की गई हो दर्ज करे।
- जिला मजिस्ट्रेट को ऐसी डायरी की गान तथा निरीक्षण करने की शक्ति होगी ।
33. पुलिस के सामाजिक कर्तव्य ।-
- प्रत्येक पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य होगा:
- (क) जनता के सदस्यों और विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं एवं बच्चों से साथ व्यवहार करते समय शान्तिता एवं नम्रता से पेश आए;
 - (ख) जनता के सदस्यों विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बच्चों, नरीयों तथा दीनहीनों और शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों, जो सड़कों या अन्य सार्वजनिक स्थलों पर अपने आप को असहाय पाते हैं या अन्यथा सहायता और संरक्षण चाहते हैं- का मार्गदर्शन करना और सहायता देना,
 - (ग) अपराध और सड़क दुर्घटनाओं से पीड़ित व्यक्तियों को सभी अपेक्षित सहायता उपलब्ध कराना तथा उन्हें बिना किसी चिकित्सकीय विधिक औपचारिकताओं के खासकर यह सुनिश्चित करना कि उन्हें तत्काल

विकारिता सहायता उपलब्ध हो और उनके मुआवजे तथा अन्य कानूनी दावों में सहायता करना;

- (घ) सभी परिस्थितियों में खासकर विभिन्न समुदायों, वर्गों, जातियों तथा राजनीतिक दलों के बीच संघर्ष के दौरान यह सुनिश्चित करना कि अल्पसंख्यकों सहित कमजोर वर्गों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान रखते हुए, पुलिस का आवरण निष्पक्षता तथा मानवीय अधिकारों के सिद्धान्तों के अनुरूप हो,
- (ङ.) छिपकर, आपत्तिजनक झूठ-भाव एवं इशारा या टिप्पणी करने या उद्दीड़न पहुँचाने सहित सार्वजनिक स्थलों तथा सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं तथा बच्चों के उद्दीड़न को ठेकना;
- (च) किसी व्यक्ति या संगठित दल द्वारा अपराधिक एवं शोषण के विरुद्ध जनता के सदस्यों, खासकर महिलाओं, बच्चों और गरीब एवं दीन हीन व्यक्तियों को सभी अपेक्षित सहायता उपलब्ध कराना, और
- (छ) अभिरक्षा में रखे गये प्रत्येक व्यक्ति को कानूनी रूप से मान्य आहार एवं आश्रय का प्रबंध करना तथा ऐसे सभी व्यक्तियों को सरकार से उपलब्ध होने वाली कानूनी सहायता योजना के प्रावधानों की जानकारी देना और इस संबंध में संबद्ध प्राधिकारियों को भी सूचित करना ।
- (ज) समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित किसी अन्य कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व का पालन एवं निर्वहन करना ।

34. आकस्मिक परिस्थितियों में कर्तव्य ।-

- (1) सरकार राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर विनिर्दिष्ट अवधि के लिए किसी विनिर्दिष्ट सेवा को समुदाय की अनिवार्य सेवा घोषित कर सकती, जो आवश्यकतानुसार अधिसूचना प्रकाशित कर समत-समय पर विस्तारित की जा सकती ।

(2) उपकार (1) के तहत की गई घोषणा के लागू रहने तक प्रत्येक पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह घोषणा में विनिर्दिष्ट सेवा के संबंध में अपने किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा दिये गये आदेश का अनुपालन करे ।

35. वरिष्ठ पुलिस अधिकारी द्वारा किसी अधीनस्थ अधिकारी के कर्तव्यों का निर्वहन ।-

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अपने किसी अधीनस्थ अधिकारी को कानून या विधिवत आदेश द्वारा सौंपे गये किसी कर्तव्य का निर्वहन कर सकेगा तथा अपने अधीनस्थ अधिकारी के कार्यों में सहायता, समर्थन करेगा, अपने अधीनस्थ अधिकारी या विधिवत रूप से अपने कमान या प्राधिकार के तहत कार्य कर रहे किसी अन्य व्यक्ति के कार्यों का अधिकमन या बंधाव करेगा, जब कभी विधि को पूर्णतः या सुलभ रूप से प्रभावी बनाना आवश्यक या अपरिहार्य प्रतीत हो ।

अध्याय V

जांच में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए अपराधों की प्रमाणी जांच ।

36. विशेष जांच इकाईयों का गठन ।-

सरकार अपराध प्रमाणी क्षेत्रों में विशेष अपराध जांच इकाईयों का गठन कर सकने की गिरावट अथवा राज्य सरकार के पुलिस अवर निरीक्षक से नीचे की कोटि का अधिकारी नहीं होगा जिसके साथ आर्थिक और जघन्य अपराधों की जांच के लिए सहायक संख्या में अधिकारी एवं स्टाफ होंगे । पुलिस महानिदेशक की लिखित अनुमति से अति विशिष्ट परिस्थितियों के सिवाय इस इकाई में तैनात किये गये कर्मियों को अन्य कार्यों में नहीं लगाया जाएगा ।

37. विशेष अपराध जांच इकाईयों में तैनात अधिकारियों का चयन ।-

विशेष अपराध जांच इकाईयों में तैनात अधिकारियों का चयन उनकी अभिव्यक्ति, व्यावसायिक दक्षता एवं निष्ठा के आधार पर किया जाएगा । जांच तकनीक, विशेषकर जांच एवं अपराध विज्ञान तकनीक से संबंधित वैज्ञानिक उपकरणों के प्रयोग का विशिष्ट प्रशिक्षण देकर उनकी व्यावसायिक दक्षता का समय-समय पर उन्नयन किया जाएगा ।

38. विशेष अपराध जांच इकाईयों में तैनात अधिकारियों का कार्यकाल ।-

विशेष अपराध जांच इकाईयों में तैनात अधिकारियों का कार्यकाल सामान्यतः तीन वर्षों का होगा जिसके बाद उन्हें कानून एवं व्यवस्था तथा अन्य कार्यों में बारी-बारी से लगाया जाएगा ।

39. विशेष अपराध जांच इकाईयों में तैनात अधिकारियों के कार्य ।-

(1) विशेष अपराध जांच इकाईयों में तैनात अधिकारी, जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा विशेष रूप से सौंपे गये अन्य मामलों के अस्ताव हत्या, अपहरण, बलात्कार, डकैती, लूट, दहेज संबंधी अपराध, धोखाधड़ी,

दुर्विनीयोजन एवं अन्य आर्थिक अपराध संबंधी मामलों की जांच करेंगे जिसका पुलिस महानिदेशक द्वारा अधिसूचित किये गये हों ।

(2) अन्य सभी अपराधों की जांच, ऐसे पुलिस थानों में तैनात अन्य स्टाफ द्वारा की जाएगी ।

40. विशेष अपराध के मामलों की जांच का पर्यवेक्षण ।-

संबद्ध थानाध्यक्ष (स्टेशन हाउस ऑफिसर) के पर्यवेक्षण में विशेष अपराध जांच इकाई कर्मियों द्वारा आरंभ किये गये मामलों की जांच का पर्यवेक्षण जिला स्तर पर ऐसे अधिकारी द्वारा की जायेगी जो पुलिस अवर अधीक्षक से नीचे की कोटि का नहीं होगा, जो जिला पुलिस अधीक्षक को सीधे रिपोर्ट करेगा । पर्यवेक्षीय अधिकारी की सहायता पर्याप्त उप पुलिस अधीक्षक के रैंक के अधिकारियों द्वारा की जायेगी जो इस व्यवसाय में गुणवत्ता पूर्ण जांच सुनिश्चित करने के लिए विशेष रूप से नियुक्त किये गये हैं ।

लेकिन छोटे जिलों में जहाँ पर कार्य की मात्रा अपर पुलिस अधीक्षक की तैनाती के लिए औचित्यपूर्ण नहीं है, वहाँ पुलिस अवर अधीक्षक की कोटि के अधिकारी को इस प्रयोजन के लिए तैनात किया जायेगा ।

41. विशेष जांच प्रकोष्ठों का सृजन ।-

प्रत्येक पुलिस जिला मुख्यालय में आर्थिक अपराधों सहित गंभीर एवं अन्य जटिल अपराधों की जांच आरंभ करने हेतु एक या अधिक विशेष जांच प्रकोष्ठों का सृजन किया जायेगा जिनमें उतनी संख्या में अधिकारी एवं कर्मचारी होंगे जिसका राज्य सरकार उचित समझे । ऐसे प्रकोष्ठ, पुलिस अवर अधीक्षक के सीधे नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में कार्य करेंगे ।

42. विशेष जांच प्रकोष्ठ हेतु विशेष रूप से अधिकारियों एवं कर्मचारियों का चयन ।-

इस प्रकोष्ठ में तैनात किये जाने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को विशेष रूप से चयनित एवं प्रशिक्षित भी किया जायेगा ।

43. अपराधिक जांच विभाग

राज्य का अपराध जांच विभाग अंतर्राज्यीय, अंतर जिला या अन्य गंभीर स्वरूप के अपराधों की जांच आरंभ करेगा जैसा कि सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाय और निर्धारित प्रक्रिया एवं मानक के अनुसरण में पुलिस महानिदेशक द्वारा इसे विशेष रूप से रीपि जाये।

44. विशिष्ट जांच कौशल।-

अपराध जांच विभाग में साइबर अपराध, संगठित अपराध, मानव हत्या संबंधी मामलों, आर्थिक अपराधों और अन्य प्रकार के अपराधों की जांच हेतु विशिष्ट इकाइयाँ होंगी, जैसा कि सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाये और जिसके लिए विशिष्ट जांच कौशल अपेक्षित है।

45. अपराध जांच विभाग में अधिकारियों का ध्यान।-

अपराध जांच विभाग में तेजात अधिकारियों का ध्यान उनकी अभिरूचि, व्यावसायिक दक्षता, अनुभव एवं निष्ठा के आधार पर किया जायगा। ध्यान के पश्चात् उन्हें समुचित प्रशिक्षण दिया जायेगा तथा समुचित पुनश्चर्चा एवं विशिष्ट पाठ्यक्रमों के माध्यम से समय-समय पर उनके ज्ञान एवं कौशल को उन्नत किया जायेगा।

46. अपराध जांच विभाग में तेजात अधिकारियों का कार्यकाल।-

अपराध जांच विभाग में तेजात अधिकारियों का कार्यकाल सामान्यतः तीन वर्ष का होगा, जबतक कि लेखापत्र किये जाने वाले कारणों से उनमें से एक या एक से अधिक अधिकारियों को उनके पद से हटाना आवश्यक न हो।

47. विधिक सलाहकार एवं अपराध विश्लेषक।-

जांच अधिकारियों का मार्गदर्शन करते, सुझाव देने और सहायता करने के लिए अपराध जांच विभाग को समुचित संख्या में विधिक सलाहकार एवं अपराध विश्लेषक उपलब्ध कराये जायेंगे।

अध्याय VI

प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं विकास।

48. प्रशिक्षण नीति।-

पुलिस व्यवस्था की कार्यवाही एवं प्रत्याजित अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार पुलिस के लिए एक प्रशिक्षण-सङ्गठित नीति तैयार करेगी। प्रशिक्षण नीति का उद्देश्य पुलिस से संबंधित विषयों की जानकारी प्रदान करना, पुलिस कार्यों में व्यावसायिक (professional) कुशलता विकसित करना, सभी प्रवृत्ति प्राप्त करना और संवैधानिक एवं नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देना होगा।

49. पुलिस कार्यों की कुशलता एवं प्रशिक्षण।-

इस प्रशिक्षण नीति में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पुलिस कार्यों अपने कार्यों का कुशलतापूर्वक संपादन करने में पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित हो जायें। जहाँ तक संभव हो, उपर्युक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सफल भागीदारी को सरकार द्वारा समय-समय पर यथा अधिसूचित ढाँचागत तरीके से विभिन्न स्तरों के पुलिस कार्यों की पदेनाति तक विभिन्न तेजातों के लिए उनकी तेजातियों से जोड़ा जाएगा।

50. प्रशिक्षण हेतु बुनियादी ढाँचा एवं क्षमता का सृजन।-

सरकार समय-समय पर विभिन्न कोटियों के पुलिस कार्यों की समग्र प्रशिक्षण आवश्यकताओं के अनुरूप उनकी प्रशिक्षण संस्थाओं के बुनियादी ढाँचा एवं क्षमता का सृजन और उन्नयन करेगी।

51. अनुसंधान एवं विकास।-

सरकार उपर्युक्त कार्यों, गति एवं अन्य संसाधनों के उपबंध के साथ राज्य पुलिस अनुसंधान एवं विकास ध्युरों की स्थापना कर सकेगी, ताकि उन विषयों और मसलों पर नियमित अनुसंधान एवं विश्लेषण करे जिससे पुलिस के कार्यकरण एवं कार्य संपादन में सुधार हो सके। सरकार अन्य प्रतिष्ठित

संगठनों एवं संस्थाओं में पुलिस व्यवस्था से सुसंगत विषयों में विशेष अध्ययन एवं अनुसंधान भी प्राथमिकता पर रखे जा सकेंगे।

52. पुलिस कार्य हेतु तकनीकी सहायता।-

सरकार अपराध की जांच करने एवं पता लगाने और पुलिस व्यवस्था संबंधी अन्य कार्यों में वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहायता हेतु तकनीकी विकसित करने के लिए भी समुचित उपाय कर सकेगी।

53. राज्य पुलिस, अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के कार्य।-

राज्य पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के कार्यों में निम्नलिखित कार्य शामिल होंगे:

- (क) देश के भीतर या विदेश में अन्य पुलिस संगठनों द्वारा सफलतापूर्वक व्यवहार में लाये गये आधुनिकतम उपकरणों एवं नवीनतम प्रौद्योगिकी की जानकारी रखना तथा राज्य पुलिस द्वारा ऐसे उपकरणों एवं प्रौद्योगिकी को अंगीकार किये या अन्यथा काम में लाए जाने के संबंध में मूल्यांकन करना। इनमें ऐसे नवीन उत्पाद, अस्त्र-शस्त्र, दंगा नियंत्रण उपकरण, यातायात नियंत्रण उपकरण, पुलिस परिवहन तथा विभिन्न वैज्ञानिक एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण शामिल हो सकेंगे जो अनुसंधान या पुलिस व्यवस्था विषयक अन्य कार्यों के लिए उपयोगी हों।
- (ख) भारत सरकार के पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, अकादमियों, प्रतिष्ठित वैज्ञानिक संगठनों, संस्थाओं एवं प्रयोगशालाओं और संबन्धित विषयक निजी क्षेत्र के उपकरणों के साथ संपर्क एवं सहयोग करना,
- (ग) राज्य में पुलिस व्यवस्था की विशिष्ट एवं उभरती समस्याओं का अध्ययन करना ताकि उनका समाधान एवं उपचारी उपाय किये जा सकें,
- (घ) पुलिस व्यवस्था की विद्यमान प्रणाली को जांच करना तथा पुलिस के कार्यकरण को अधिक कुशल एवं प्रतिक्रियाशील बनाने के लिए पुलिस

में किये जानेवाले ढांचागत, संस्थागत एवं अन्य आवश्यक परिवर्तनों का सुझाव देना, और

- (ङ.) राज्य पुलिस की आधुनिकीकरण एवं प्रशिक्षण नीतियों के प्रभाव का समवर्ती रूप से मूल्यांकन एवं प्रलेखन करना तथा इसके निष्कर्षों की रिपोर्ट पुलिस महानिदेशक एवं सरकार को देना।

अध्याय VII

54. विनियम, निबंधन एवं अनुशासन 1-

राज्य सरकार के अनुमोदन के अन्वयेण पुलिस महानिदेशक निम्नलिखित के लिए ऐसे नियम, विनियम बनाएगा अथवा आदेश जारी करेगा जो इस अधिनियम अथवा किसी सम्यक लागू अन्य किसी अधिनियम के प्रतिबन्धन में हों:

- (क) अपराध को रोकथाम एवं जांच;
- (ख) पुलिस संगठन तथा पुलिस अधिकारियों द्वारा नियमित किए गए कार्य का विनियमन एवं निरीक्षण;
- (ग) पुलिस सेवा को प्रदान किए जाने वाले शर्तों, राज-साधन, परत तथा अन्य साधनों का विवरण एवं मात्रा निर्धारित करना;
- (घ) सभी रैंकों एवं ग्रेडों के अधिकारियों को दायित्वों सौंपना तथा यह तरीका एवं शर्तें निर्धारित करना जिनके अन्वयेण वे अपनी-अपनी शक्तियों एवं कर्तव्यों का प्रयोग एवं निर्वहन करेंगे;
- (ङ) पुलिस द्वारा आरुचना एवं सूचना के संग्रहण एवं संचार को विनियमित करना;
- (च) रखे जाने वाले रिकार्ड, रजिस्टर तथा प्रपत्र और विभिन्न पुलिस यूनिटों एवं अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाली विवरणियों निर्धारित करना;
- (छ) पुलिस को सामान्यतः अधिक कुशल बनाना एवं उनके द्वारा शक्ति के दुरुपयोग तथा कर्तव्यों की उल्लंघना को रोकना ।

55. नियम एवं विनियम बनाने की शक्ति 1-

सरकार पुलिस का विनियमन, निबंधन और अनुशासन के लिए निम्नवर्ती बनाएगी; परन्तु, यह और कि, इस अधिनियम के अधीन तथा पुलिस हस्तक, बनाए जाने तक वर्तमान विहार और उड़ीसा राज्य पुलिस हस्तक, 1923

और पुलिस हस्तक, तथा विद्यमान नियमवर्ती, विनियम, अधिसूचनाएँ, आदेश और परिपत्र लागू रहेंगे, मान्य वे इस अधिनियम के अधीन उपबंधित हों ।

56. पुलिस अधिकारी सदैव ड्यूटी पर 1-

(1) प्रत्येक अधिकारी को, जो ड्यूटी पर न हो अथवा निलंबित न हो, इस अधिनियम के सभी प्रावधानों के लिए, सदैव ड्यूटी पर रमना चाहिए और उसे किसी भी समय राज्य के किसी भी भाग में भेजा जा सकता है ।

57. पुलिस अधिकारी की तैनाती 1-

कोई भी पुलिस अधिकारी जब तक उसे तमुचित रूप से प्राधिकृत न किया जाए, अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ेगा व निर्युक्ति या तैनाती स्वतः से नहीं हटेगा ।

स्पष्टीकरण: कोई अधिकारी, जो अधिकृत रूप से ड्यूटी पर होने के कारण, ऐसी ड्यूटी की समाप्ति पर बिना किसी तर्करागत कारण से ड्यूटी पर रिपोर्ट नहीं कर पाता है, तो इस धारा के अर्थ के अंतर्गत उसके बारे में यह मान लिया जाएगा कि उसने अपने पद के कर्तव्यों से खुद को विमुख कर लिया है ।

58. पुलिस अधिकारी द्वारा कोई अन्य रोजगार नहीं किया जाना 1-

इस अधिनियम के अंतर्गत कोई भी पुलिस अधिकारी अपने कर्तव्यों के अतिरिक्त कोई अन्य रोजगार या लाभ का पद धारण नहीं करेगा ।

अध्याय VIII

पुलिस की जवाबदेही ।

आवरण के लिये उत्तरदायित्व ।

59. जिला उत्तरदायित्व प्राधिकरण ।-

- (1) सरकार, प्रत्येक जिला में, धारा 60 में उल्लिखित कार्यों के लिए "जिला उत्तरदायित्व प्राधिकरण" स्थापित करेगी।
- (2) जिला मजिस्ट्रेट जिला उत्तरदायित्व प्राधिकरण के अध्यक्ष होंगे और पुलिस अधीक्षक सदस्य और चरिबट अपर जिला मजिस्ट्रेट/अपर समाह्वर्ता सदस्य सचिव होंगे ।

60. जिला उत्तरदायित्व प्राधिकरण के कार्य ।-

- (1) जिला उत्तरदायित्व प्राधिकरण निम्नलिखित कार्य करेगा:
- (क) जिला पुलिस अधीक्षक से समय-समय पर प्राप्त तिमाही रिपोर्टों के जरिए सहायक/उप पुलिस अधीक्षक से नीचे के रैंक के अधिकारियों के विरुद्ध "कदाचार" की शिकायतों संबंधी विभागीय जांच अथवा फर्रवाई की रिपोर्ट की मॉनीटरिंग करेगा;
- (ख) यदि प्राधिकरण के विचार में, किसी मामले की जांच में अनावश्यक देरी हो रही हो तो प्राधिकरण उस जांच को तेजी से पूरा करने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक को उचित सलाह देगा;
- (2) जब कोई शिकायतकर्ता "कदाचार" की अपनी शिकायत के संबंध में विभागीय जांच की प्रक्रिया में असाधारण देरी होने से अथवा अनुशासनिक जांच कराने में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन होने पर जांच के परिणाम से असंतुष्ट होकर मामले को प्राधिकरण के ध्यान में लाता है तो सहायक/उप पुलिस अधीक्षक से नीचे के रैंक के किसी अधिकारी के विरुद्ध "कदाचार" की शिकायत के संबंध में प्राधिकरण जिला पुलिस अधीक्षक से रिपोर्ट मंगा सकता है और आगे की फर्रवाई के लिए उचित सलाह जारी

कर सकता है अथवा यदि आवश्यक हो तो जिला पुलिस अधीक्षक को उस मामले की जांच किसी अन्य अधिकारी से कराने जाने के निर्देश दे सकता है ।

परन्तु उपर्युक्त उपधारा (1) और (2) में अन्तर्दिष्ट उपबंधों से यह नहीं समझा जाएगा कि वे जिला पुलिस अधीक्षक के अनुशासनिक, पथविश्लेषणीय और प्रशासनिक नियंत्रण का किसी प्रकार सनुकरण करते हैं ।

61. जिला उत्तरदायित्व प्राधिकरण की रिपोर्ट ।-

- (1) प्रत्येक जिला उत्तरदायित्व प्राधिकरण प्रत्येक फिलेडर वर्ष के समाप्त होने से पहले एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसे सरकार के समक्ष प्रस्तुत करेगा जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बातें शामिल होंगी :
- (क) वर्ष के दौरान उसके द्वारा क्रमशः सरकार को और जिला पुलिस अधीक्षकों को अत्रेपित "कदाचार" के मामलों की संख्या और प्रकार;
- (ख) वर्ष के दोन उसके द्वारा मॉनीटर किए गए मामलों की संख्या और प्रकार;
- (ग) शिकायतकर्ताओं द्वारा अपनी शिकायतों की विभागीय जांच से असंतुष्ट होकर उसके भेजे गए "कदाचार" के मामलों की संख्या एवं प्रकार;
- (घ) उपरोक्त (ग) में संदर्भित मामलों की संख्या और प्रकार जिनमें उसके द्वारा पुलिस को आगे की फर्रवाई करने के लिए सलाह अथवा निर्देश जारी किए गए हों; और
- (ङ.) पुलिस की जवाबदेही को बढ़ाने के उपायों से संबंधित सिफारिश ।

62. शिकायतकर्ता के अधिकार ।-

- (1) शिकायतकर्ता पुलिस कार्मिकों के किसी "कदाचार" के संबंध में अपनी शिकायत विभागीय पुलिस प्राधिकारियों या जिला उत्तरदायित्व प्राधिकरण के पास दर्ज करवा सकता है;

परन्तु यह कि यदि शिकायत की विषय वस्तु की किसी अन्य आवेग अथवा किसी न्यायालय द्वारा जांच की जा रही हो तो आवेग अथवा जिला प्राधिकरण द्वारा ऐसी किसी भी शिकायत पर विचार नहीं किया जाएगा।

(2) शिकायतकर्ता को जांच प्राधिकारी से समय-समय पर जांच की प्रगति की सूचना प्राप्त करने का अधिकार होगा। जांच अथवा दिवाणीय कार्यवाही पूरी होने पर, शिकायतकर्ता को जांच के निष्कर्षों और मामले में अंतिम कार्यवाही की सूचना यथाशीघ्र दी जाएगी।

63. नेकनीयती में की गई कार्यवाही का संरक्षण।-

इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नेकनीयती में किए गए अथवा किए जाने वाले किसी कर्म के संबंध में राज्य सरकार, राज्य पुलिस बोर्ड, इसके सदस्य एवं कर्मचारियों, किसी पुलिस अधिकारी/पुलिस उत्तरदायित्व प्राधिकरण, इसके सदस्यों, कर्मचारियों या बोर्ड या प्राधिकरण के निर्देशन में कार्य कर रहे किसी व्यक्ति अथवा जिला उत्तरदायित्व प्राधिकरणों के सदस्यों अथवा कर्मचारियों के खिलाफ कोई मुकदमा अथवा अन्य कानूनी कार्यवाही स्वीकार्य नहीं होगी।

64. अशांत या खतरनाक जिलों में अतिरिक्त पुलिस रखना।-

(1) राजपत्र में अधिसूचित की जानेवाली उद्घोषणा द्वारा तथा सरकार द्वारा यथा निर्दिष्ट अन्य रीति से सरकार के लिए अपने प्राधिकार के अधीन आनेवाले किसी क्षेत्र के लिए यह घोषणा करना विधिपूर्ण होगा कि वह अशांत या खतरनाक स्थिति में पायी गई है अथवा ऐसे क्षेत्र के निवासियों या उनके किसी वर्ग या समुदाय के आचरण से यह समीचीन है कि पुलिस की संख्या बढ़ायी जाए।

(2) तदुपरान्त, सरकार की स्वीकृति से पुलिस महानिदेशक अथवा इस निमित्त सरकार द्वारा प्राधिकृत अन्य अधिकारी के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह यथा उपर्युक्त उद्घोषणा में विनिर्दिष्ट क्षेत्र में

साधारणतया नियत बल के अतिरिक्त किसी भी पुलिस बल को तैनात कर वहां रखा।

(3) इस धारा की उपधारा (5) के उपबंधों के अधीन, ऐसे अतिरिक्त पुलिस बल की लागत उद्घोषणा में वर्णित क्षेत्र के निवासियों द्वारा वहन किया जाएगा।

(4) जिला मजिस्ट्रेट, ऐसी जांच कर जो वह उचित समझे, ऐसी लागत को उन निवासियों में प्रभाषित करेगा जो उपर्युक्त के अनुसार उनका वहन करने के भागी हैं और जिन्हें अगली उत्तरवर्ती धारा के अन्तर्गत छूट न दी गई हो। ऐसा प्रभाषन ऐसे क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले निवासियों के अलग-अलग मामलों के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट के निर्णयानुसार किया जाएगा।

(5) सरकार के लिए, आदेश द्वारा ऐसे निवासियों में से किसी व्यक्तियों या वर्ग या समुदाय को ऐसी लागत के किसी भाग से छूट देना विधिपूर्ण होगा।

(6) इस धारा की उपधारा(1) के अन्तर्गत जारी हरेक उद्घोषणा में वह अवधि उल्लिखित की जाएगी जबतक यह लागू रहेगी, किन्तु इसे किसी भी समय वापस लिया जा सकेगा या समय-समय पर आगे की अवधि या अवधियों के लिए जारी रखा जा सकेगा जैसा कि सरकार हर मामले में उचित समझे और निदेश दे।

स्पष्टीकरण:- इस धारा के प्रयोजनार्थ, "निवासियों" में ऐसे व्यक्ति स्वयं या उनके एजेंट या सेवक शामिल होंगे जो ऐसे क्षेत्र के अन्तर्गत भूमि या अन्य अवल सम्पत्ति रखते हैं या धारण करते हैं; ऐसे भूमिस्वामी स्वयं या उनके एजेंट या सेवक शामिल होंगे जो ऐसे क्षेत्र में रैयती या दखलदारों से सीधे लगान वसूल करते हैं, भले ही वे उस क्षेत्र में वस्तुतः निवास करते हों अथवा नहीं। निवासियों में उस

क्षेत्र के वास्तविक निवासी भी शामिल होंगे, भले ही वे भूस्वामी हों या न हों।

65. निवासियों अथवा भूमि में हितवश व्यक्तिओं के कदाचार से उपहत व्यक्तियों को प्रतिकर प्रदान करना।-

(1) यदि ऐसे किसी क्षेत्र में, जिसके संबंध में पिछली पूर्ववर्ती धारा के अन्तर्गत अधिसूचित कोई उद्घोषणा लागू हो, उस क्षेत्र के निवासियों या उसके किसी वर्ग या समुदाय के कदाचार के कारण या कदाचार से मृत्यु या गंभीर उपहत या सम्पत्ति की हानि या क्षति हुई हो तो उस क्षेत्र के निवासी किसी ऐसे व्यक्ति जो ऐसे कदाचार से उपहत होने का दावा करता हो, के लिए इस क्षति की तारीख से एक माह के भीतर अथवा गथा निर्धारित उसके कम अवधि के भीतर प्रतिकर हेतु उस जिला मजिस्ट्रेट या अनुमंडल मजिस्ट्रेट, जिसके अन्तर्गत ऐसा क्षेत्र अवस्थित हो, को आवेदन देना विधिपूर्ण होगा।

(2) तदुपरान्त, जिला मजिस्ट्रेट के लिए यथावश्यक जांच करने के बाद सरकार की स्वीकृति से, निम्नलिखित कार्रवाई करना विधिपूर्ण होगा, चाहे अतिरिक्त पुलिस बल पिछली पूर्ववर्ती धारा के अन्तर्गत ऐसे क्षेत्र में रखा गया हो अथवा नहीं;

(क) ऐसे व्यक्तियों की घोषणा करेगा जिन्हें ऐसे कदाचार के कारण या उसके फलस्वरूप क्षति पहुंची हो;

(ख) ऐसे व्यक्तियों को भुगतान की जानेवाली प्रतिकर की राशि तथा उनके बीच उसे वितरण किए जाने की रीति निर्धारित करेगा, और

(ग) आवेदन से भिन्न, उस क्षेत्र के ऐसे निवासियों द्वारा भुगतान किए जाने वाले अनुपात का निर्धारण करेगा, जिन्हें अगली उत्तरवर्ती उपधारा के अन्तर्गत भुगतान करने के दायित्व से छूट न दी गयी हो परन्तु जिला मजिस्ट्रेट/ अनुमंडल मजिस्ट्रेट इस उपधारा के अधीन तबतक कोई घोषणा या निर्धारण नहीं करेगा जबतक कि उसके विचार

में यह न हो कि उपर्युक्त क्षति ऐसे क्षेत्र में हुए दंगे या गैर कानूनी सभा के कारण हुई है और यह कि जिस व्यक्ति को क्षति पहुंची है वह उन घटनाओं के लिए दोषमुक्त है जिससे ऐसी क्षति पहुंची है।

(3) ऐसे प्रतिकर के किसी भाग को अदा करने के दायित्व से किन्हीं व्यक्तियों को अथवा ऐसे निवासियों के किसी वर्ग या समुदाय को मुक्त करने का आदेश देना सरकार के लिए विधिपूर्ण होगा।

(4) प्रमंडल के आयुक्त या सरकार द्वारा पुनरीक्षण किए जाने के अधधीनय उपधारा (2) के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट द्वारा की गयी हर एक घोषणा या निर्धारण अथवा पारित आदेश, उपर्युक्त के सिवाय, अंतिम होगा।

(5) जिस किसी क्षति के लिए इस धारा के अन्तर्गत प्रतिकर अधिनिर्णीत किया गया हो उसके संबंध में कोई भी सिविल याद चलाने योग्य नहीं होगा।

(6) स्पष्टीकरण :- इस धारा में शब्द "निवासियों" से वही अभिप्रेत होगा जो पिछली पूर्ववर्ती धारा में उसके लिए दिया गया है।

अध्याय IX

सामान्य अपराध, दण्ड तथा उत्तरदायित्व,

गतिियों तथा सार्वजनिक स्थानों में व्यवस्था ।

66. जन सभाओं तथा जुलूसों का विनियमन ।-

(1) किसी सड़क, गली अथवा आम रास्ते पर जुलूस का आयोजन करने अथवा किसी सार्वजनिक स्थल पर सभा बुलाने का इरादा रखने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह संबंधित पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को लिखित रूप में इसकी सूचना दे ।

(2) (क) कम से कम सहायक/उप पुलिस अधीक्षक रैंक का कोई अधिकारी, जहां कहीं आवश्यक हो, किसी सार्वजनिक सड़क, गली अथवा आम रास्ते पर सभी सभाओं और जुलूसों के संचालन का निर्देश दे सकेगा और ऐसे किसी जुलूस के गुजरने के लिए मार्ग एवं समय निर्धारित कर सकेगा ।

(ख) उसका समाधान हो जाने पर कि कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग किसी ऐसी सड़क, गली या आम रास्ते पर जनसभा आयोजित करने या बुलाने या जुलूस निकालने का इरादा रखता है जिससे जिला मजिस्ट्रेट की राय में या अनुमंडल मजिस्ट्रेट की राय में, अनिर्वाचित रहने पर शांति भंग होने की संभावना हो तो सामान्य या विशेष नोटिस द्वारा ऐसी जनसभा आयोजित करने वाले या बुलानेवाले या ऐसी जुलूस का निर्देशन या प्रोत्साहित करने वाले व्यक्तियों से यह अपेक्षा भी करेगा कि वे लाइसेंस के लिए आवेदन करें ।

(ग) ऐसा आवेदन किये जाने पर वह लाइसेंस जारी कर सकेगा जिसमें लाइसेंसधारकों का नाम और उन शर्तों का विनिर्दिष्ट किया जायेगा जिन पर ऐसी जनसभा करने या जुलूस निकालने की अनुमति होगी, परन्तु ऐसा कोई लाइसेंस प्रदान करने के लिए कोई फीस नहीं ली जायेगी ।

(घ) गलियों में संगीत व त्योहारों और समारोहों के अवसर पर गलियों में किस हद तक संगीत बजाये जा सकेगा, इसका भी विनियमन कर सकेगा ।

67. निर्धारित शर्तों का उल्लंघन करने वाली सभाएं और जुलूस ।-

(1) कोई मजिस्ट्रेट या जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कम-से-कम अवर निरीक्षक रैंक [] पुलिस अधिकारी, धारा 66 की उप-धारा (1) और (2) के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों का उल्लंघन करने वाली सभा अथवा जुलूस को रोक सकेगा अथवा जुलूस के विसर्जन का आदेश दे सकेगा ।

(2) उपर्युक्त उप-धारा (1) के अन्तर्गत दिए गए किसी आदेश की उभेक्षा करने अथवा पालन करने से इनकार करने वाली किसी सभा अथवा जुलूस को भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अध्याय XIII के तहत "गैर-कानूनी सभा" समझा जाएगा ।

68. माइक्रोफोन आदि के उपयोग पर निषेध करने, प्रतिबंध लगाने, विनियमन करने या शर्तें लगाने की शक्ति ।-

(1) यदि जिला मजिस्ट्रेट या जिला पुलिस अधीक्षक या अनुमंडल मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट या अनुमंडल पुलिस अधिकारी या पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी के विचार में लोगों के अथवा उसके किराी वर्ग के क्षोभ या उनके स्वास्थ्य को क्षति पहुंचाने से रोकने के प्रयोजन के लिए या लोगों की शांति और प्रशांति बनाए रखने के प्रयोजन के लिए ऐसा करना आवश्यक हो तो वह आदेश द्वारा अपनी अधिकारिता वाले किसी क्षेत्र में अथवा ऐसे क्षेत्र में किसी घाटन पर माइक्रोफोन, लाऊडस्पीकर या मानवध्वनि विस्तारक किसी अन्य उपकरण को बजाने अथवा संगीत अथवा अन्य ध्वनि विस्तारक को बजाने का निषेध या प्रतिबंध लगा सकेगा या उसका विनियमन कर सकेगा अथवा उनके उपयोग या संचालन पर शर्तें लगा सकेगा,

(2) सरकार, स्वप्रेरणा से अथवा व्यक्ति किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के अभ्यावेदन पर, उपधारा (1) अन्तर्गत किए गए किसी आदेश को उपान्तरित कर सकेगा या उसमें फेर-बदल कर सकेगा या उसे रद्द कर सकेगा।

(3) कम-से-कम अवर निरीक्षक रैंक का पुलिस अधिकारी उपधारा-(1) के अन्तर्गत किए गए किसी आदेश या उपधारा-(2)के अन्तर्गत सरकार द्वारा उपान्तरित या फेर-बदल किए गए ऐसे किसी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए ऐसे कदम उठा सकेगा या ऐसे बल का प्रयोग कर सकेगा जो यथोचित एवं आवश्यक हो तथा आदेश का उल्लंघन कर उपभोग में लाए जा रहे या संचालित किए जा रहे किसी माइक्रोफोन, लाऊडस्पीकर या अन्य उपकरण को जब्त कर सकेगा।

(4) उपधारा-(3) के अन्तर्गत माइक्रोफोन, लाऊडस्पीकर अथवा अन्य उपकरण जब्त करने वाला पुलिस अधिकारी साथ ही जैसे किसी वाहन को भी जब्त कर सकेगा जिस पर ऐसा माइक्रोफोन, लाऊडस्पीकर या अन्य उपकरण उस समय बोया जा रहा हो या ले जाया जा रहा हो या रखा जा रहा हो,

परन्तु, उस पुलिस स्टेशन का कम-से-कम अवर निरीक्षक रैंक का पुलिस अधिकारी, जिसकी सीमाओं के भीतर वाहन जब्त किया जाता हो, ऐसे वाहन को पांच हजार रुपये से अनधिक की ऐसी राशि, जो वह उचित समझे, के वाहन मालिक द्वारा सरकार के पक्ष में निष्पादित इस बांड पर छोड़ सकेगा कि जांच या विचारण के समय वाहन प्रस्तुत करेगा और यदि उपधारा-(5) के अन्तर्गत अभ्यर्पण करने का निदेश दिया जाए तो वाहन अभ्यर्पित करेगा।

(5) जिला मजिस्ट्रेट या जिला पुलिस अधीक्षक या अनुमंडल मजिस्ट्रेट या किसी मजिस्ट्रेट या किसी अनुमंडल पुलिस अधिकारी या पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी द्वारा उपधारा-(1) के अन्तर्गत किए गए किसी आदेश अथवा उपधारा-(2) के अन्तर्गत सरकार द्वारा यथा उपान्तरित या फेर बदल किए गए ऐसे किसी आदेश का उल्लंघन करने वाला कोई व्यक्ति मजिस्ट्रेट

के समक्ष सिद्ध दोष ठहराए जाने पर एक हजार रुपये तक के जुमाने का दावी होगा और इस धारा के अन्तर्गत अपराध का विचारण करने वाला न्यायालय उपधारा-(3) के अन्तर्गत जब्त किसी माइक्रोफोन, लाऊडस्पीकर या अन्य उपकरण के या उपधारा-(4) के अन्तर्गत जब्त या उस उपधारा के परन्तुक के अन्तर्गत छोड़े गए वाहन के अभ्यर्पण का निदेश भी दे सकेगा। (6) इस धारा के उपबंध इस अधिनियम की किसी अन्य धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अतिरिक्त होगा न कि उन शक्तियों का अल्पीकरण करेगा।

69. सार्वजनिक सड़कों पर व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश।-

जिला पुलिस अधीक्षक अथवा उनके द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत कोई अन्य पुलिस अधिकारी, सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा, रास्ते से गुजरने वाले व्यक्तियों की बाधा, चोट अथवा परेशानी तथा प्रदूषण को रोकने के लिए, सार्वजनिक सड़कों और गलियों, आम रास्तों अथवा किसी सार्वजनिक स्थल पर व्यवस्था बनाए रखने हेतु जनता को उचित निर्देश देगा।

70. आदेशों अथवा निर्देशों की अवज्ञा करने के लिए दण्ड।-

धारा- 69 और 71 के तहत जारी कानूनी आदेशों का पालन न करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकेगा और मजिस्ट्रेट द्वारा दोष सिद्ध किए जाने पर दस हजार रुपये तक के जुमाने का दावी होगा।

71. सार्वजनिक स्थलों को आरक्षित करने तथा अपरोध खड़ा करने की शक्ति।-

(1) जिला मजिस्ट्रेट सार्वजनिक सूचना के माध्यम से किसी गली या अन्य सार्वजनिक स्थल को सार्वजनिक उद्देश्य हेतु अस्थायी रूप से आरक्षित रख सकता है तथा ऐसे आरक्षित क्षेत्र में विनिर्दिष्ट शर्तों को छोड़कर अन्य स्थिति में लोगों की आवाजाही को प्रतिबंधित कर सकता है।

(2) (क) जिला मजिस्ट्रेट मार्गों एवं गलियों में बैरियर एवं अन्य आवश्यक ढांचों की स्थापना के लिए किसी भी पुलिस अधिकारी को प्राधिकृत कर सकता है ताकि वाहनों की जांच-पड़ताल की जा सके अथवा वाहन मालिकों द्वारा किन्हीं प्रावधानों का उल्लंघन रोका जा सके।

(ख) ऐसा आदेश देते समय जिला मजिस्ट्रेट द्वारा राहगीरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु उठाए जाने वाले आवश्यक कदमों का भी निर्धारण किया जायेगा।

(ग) इस अवस्था की बातों को इनकी स्थापना उद्देश्य की पूर्ति के पश्चात् हटा दिया जाएगा, पुलिस के विरुद्ध होने वाले अपराध।

72. पुलिस कार्य में रुकावट।

कोई भी व्यक्ति, जो पुलिस अधिकारी द्वारा कर्तव्य निर्वहन और उसके कार्यों में रुकावट पैदा करता हो उसे दोष सिद्धि पर अधिक-से-अधिक पांच हजार रुपये तक के जुर्माने या अधिक से अधिक तीन माह की साधारण कैद या दोनों की सजा दी जा सकती है।

73. पुलिसवर्दी का अनधिकृत प्रयोग।

कोई भी व्यक्ति, जो पुलिस सेवा का सदस्य नहीं है तथा सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए प्राधिकृत अधिकारी से अनुमति प्राप्त किए बिना पुलिस वर्दी या कोई भी ऐसी वेशभूषा जो पुलिस वर्दी जैसी दिखती हो अथवा जिस पर पुलिस वर्दी का कोई खास चिह्न हो, धारण करता है तो उस व्यक्ति को दोष सिद्धि पर अधिक-से-अधिक छह मास या साधारण कारावास अथवा अधिक-से-अधिक दस हजार रुपये तक के जुर्माने या दोनों की सजा दी जाएगी।

74. अदावाकृत सम्पत्ति को पुलिस अधिकारियों द्वारा प्रभार में ले लिया जाएगा और मजिस्ट्रेट के आदेशों के अधीन उसका निपटान करेगा।

हरेक पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह अदावाकृत सम्पत्ति को अपने प्रभार में ले ले और उसकी सूची बनाकर जिला मजिस्ट्रेट को दे दे। पुलिस अधिकारी ऐसी सम्पत्ति के निपटान के संबंध में उन आदेशों से मार्गदर्शित होंगे जो जिला मजिस्ट्रेट से प्राप्त करेंगे।

75. मजिस्ट्रेट सम्पत्ति निरोध में रख सकता है और उद्घोषणा जारी कर सकता है।-

(1) जिला मजिस्ट्रेट सम्पत्ति निरोध में रख सकेगा और उद्घोषणा जारी कर सकेगा जिसमें उन वस्तुओं को विनिर्दिष्ट करेगा जिसका वह हो तब उसके संबंध में कोई दावा करने वाले किसी व्यक्ति से यह अपेक्षा करेगा कि वह ऐसी उद्घोषणा की तारीख से छह महीने के अन्तर्गत उपस्थित होकर उसके संबंध में अपना अधिकार सिद्ध करे।

(2) इस धारा में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट सविज्ञान, 1973 (1974 का 2) की धारा 457 के उपबंध लागू होंगे।

76. यदि कोई दावा करने वाले न आए तो सम्पत्ति का अधिहरण करना।-

(1) यदि अनुमत अवधि के भीतर कोई व्यक्ति ऐसी सम्पत्ति का दावा न करे या यदि पिछली पूर्ववर्ती धारा की उपधारा (2) के अन्तर्गत पहले ही उसकी बिक्री न की गयी हो और यदि इसकी बिक्री की जाए तो ऐसी बिक्री जिला मजिस्ट्रेट के आदेशों के अन्तर्गत की जाएगी।

(2) पूर्ववर्ती उपधारा के अधीन बिक्री की सम्पत्ति के विक्रय आगम तथा जिस सम्पत्ति का कोई दावा करने वाला साबित न हुआ हो उसकी धारा-26 के अन्तर्गत की गयी बिक्री से प्राप्त आगम सरकार के निपटान के अधीन होगा।

77. पुलिस अधिकारी न रहने पर नियुक्ति प्रमाण पत्र इत्यादि को डिलीवर करने से मना करना।-

यदि कोई व्यक्ति पुलिस अधिकारी न रहने पर अपना नियुक्ति प्रमाण पत्र तथा उसे कार्य निष्पादन हेतु प्रदान किए गए वस्त्र, साज-सामान तथा अन्य साधन सम्पत्ति वापस नहीं करता तो मजिस्ट्रेट द्वारा सिद्ध दोष ठहराए जाने पर दस हजार रुपये तक के जुर्माने का दायी होगा।

78. पुलिस द्वारा किए जाने वाले अपराध ।-

हर एक पुलिस अधिकारी, जो कर्तव्य की अवहेलना करने अथवा सक्षम प्राधिकार द्वारा बनाए गए विधिपूर्ण व्यवस्था के किसी नियम या विनियम की उल्लंघना करने का दोषी होगा अथवा बिना अनुमति के अथवा बिना पूर्व सूचना के दो माह तक की अवधि के लिए अपने पदोप कर्तव्यों का स्थान करेगा अथवा जो छुट्टी पर अनुपस्थित रहते हुए, बिना उचित कारण के ऐसी छुट्टी की समाप्ति पर अपने कर्तव्य पर रिपोर्ट करने में विफल रहेगा अथवा बिना प्राधिकार के अपने कर्तव्य से भिन्न किसी नियोजन में लगेगा अथवा जो कायरता का दोषी होगा अथवा जो अपने अभिरक्षा वाले किसी व्यक्ति के साथ कोई अनधिकृत व्यक्तिगत हिंसा करेगा, वह दोषसिद्धि पर तीन माह के वेतन तक के जुर्माने से या तीन माह तक के कठोर श्रम के साथ या उसके बिना, कारावास का या दोनों का भागी होगा,

79. जनता द्वारा किये जाने वाले अपराध ।

(1) कोई भी व्यक्ति जो गिरा गजट द्वारा विशेष रूप से अधिसूचित किसी क्षेत्र की सीमा में जानेवाली किसी सड़क या गली या आम रास्ते अथवा किसी खुले स्थान पर वहां के निकासियों या राहगीरों को असुविधा, रोध या खतरा पैदा करने वाला निम्नलिखित अपराध करना हो तो उसे दोषसिद्धि पर अधिक से अधिक पैंच हजार रुपये जुर्माना लगाया जाएगा :

(क) पशु को खुला छोड़ता हो अथवा किसी पशु अथवा किसी प्रकार के वाहन को सामान उतारने या चढ़ाने तथा यात्रियों को चढ़ाने एवं उतारने के लिए अपेक्षित समय से अधिक समय तक खड़ा रखता हो अथवा किसी वाहन को इस ढंग से खड़ा करता हो जिससे लोगों को असुविधा या खतरा हो,

(ख) नदों में या उपद्रवी पाया जाता हो;

(ग) अपनी निगरानी अथवा अधिकार में आने वाले कुएँ, टैंक, खड्ड अथवा अन्य खतरनाक स्थल या ढाँचे के धारों और बाड़ लगाने या उसके

उचित संरक्षण में सापरवाही करता हो, अथवा सार्वजनिक स्थल पर किसी अन्य ढंग से बाधक स्थिति उत्पन्न करता हो ;

(घ) सम्पत्ति के अभिरक्षक की पूर्व अनुमति के बिना दीवारों, भवनों अथवा अन्य दीवारों को विरुद्ध करता हो या उनपर सूचनाएँ लिखता हो या चारे लिखता हो ;

(ङ.) सरकारी भवन, भूमि अथवा उससे जुड़े मैदान अथवा किसी सरकारी वाहन में बिना पर्याप्त कारण के स्टेज से प्रवेश करता हो ;

(च) पुलिस, फायर ब्रिगेड अथवा अन्य आवश्यक सेवाओं को घम में डालने के लिए जानबूझकर अफवाहें फैलाता हो या झूठी वेतावनी देता हो ; अथवा

(झ) किसी भी जन वेतावनी प्रणाली को जान बूझ कर नष्ट करता हो या उसको क्षतिग्रस्त करता हो;

(ञ) जनता के बीच आतंक फैलाने के लिए जान-बूझकर तथा स्वेच्छा से आवश्यक सेवा को क्षति पहुंचाता हो ;

(ड) किसी भी सरकारी भवन में सक्षम प्राधिकारी द्वारा सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किए गए नोटिस का उल्लंघन करता हो ;

बशर्ते कि पुलिस संबंधित कार्यालय के किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा की गयी शिकायत पर इस अपराध की ओर ध्यान दे ;

(ज) अनाद प्रस्तावों अथवा संवेतों या सुक ठिपकर पीछा करने के कारण किसी महिला को परेशान करना;

बशर्ते कि पुलिस केवल गीड़ित द्वारा की गयी शिकायत पर इस अपराध का संज्ञान ले ।

(2) किसी भी पुलिस अधिकारी के लिए किसी ऐसे व्यक्ति, जो उपपारा (1) में उल्लिखित किसी भी अपराध को करता हो, को हिरासत में लेना अधिकारी के लिए विधि समस्त होगा, परन्तु इस प्रकार हिरासत में लिया गया व्यक्ति व्यक्तिगत मुचलका देने पर जमानत पर रिहा किया जाएगा ।

विन्यायविधि मामले

80. दिशानिर्देशों एवं सार्वजनिक सूचनाओं को छिपाने संबंधी प्रक्रिया ।-

(1) इस अध्याय के तहत जारी सभी सामान्य दिशानिर्देश, विनियम तथा सार्वजनिक सूचनाएं स्थानीय क्षेत्र एवं प्रभावित स्थान के जिला मजिस्ट्रेट, अनुमंडल, प्रजंड/अंचल कार्यालय एवं पंचायत कार्यालय में सूचनाएं छिपकाकर तथा ऐसे भवनों एवं स्थलों, जो विशेष रूप से सूचना से संबद्ध हो, के निकट सुस्पष्ट स्थानों पर सूचना की प्रतियां लगाकर अथवा ड्रम बजाकर इस सूचना की घोषणा करके अथवा स्थानीय समाचार पत्रों एवं अन्य मीडिया में इसका विज्ञापन देकर अथवा किसी अन्य साधना द्वारा, जैसाकि पुलिस अधीक्षक उपर्युक्त समझे, इनका प्रकाशन किया जाएगा;

वशर्ते कि, पुलिस अधीक्षक इस बात से संतुष्ट होने पर कि किसी विनियम को तत्काल प्रभाव से लागू करना जनहित में है, बिना पूर्व प्रकाशन के ऐसा निर्देश एवं विनियम बनाए।

(2) यदि इस धारा के तहत बनाए गए किसी निर्देश अथवा विनियम का संबंध किसी ऐसे मामले से हो जिसके संबंध में किसी निगम अथवा जन स्वास्थ्य संबंधी अन्य नगर एवं स्थानीय प्राधिकरण, इलाके की सुविधा अथवा सुरक्षा संबंधी किसी कानून, नियम या उप नियम में प्रावधान हो तो ऐसा विनियम, ऐसे कानून, नियम एवं उपनियम के अध्याधीन होगा ।

81. पुलिस अधिकारियों का अभियोजन ।-

जब कोई अपराधी पुलिस अधिकारी हो तो कोई न्यायालय इस अधिनियम के अन्तर्गत संज्ञान सरकार द्वारा उक्त अपराध के तथ्यों पर लिखित रिपोर्ट प्राप्त होने या इस संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के पूर्व अनुमोदन के सिवाय नहीं होगा ।

82. अन्य कानूनों के अन्तर्गत अपराधों का अभियोजन ।-

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-300 में निहित उपबंधों के अध्याधीन, इस अधिनियम की कोई बात किसी व्यक्ति को इस अधिनियम

द्वारा दण्डनीय बनाए गए किसी अन्य विधि के अन्तर्गत अभियोजित तथा दण्डित किए जाने से नहीं बचाएगा ।

83. कुछ मामलों का संक्षिप्त निपटान ।-

(1) कोई मजिस्ट्रेट धारा 72, 77 और 78 के अन्तर्गत दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान लेते समय, अभियुक्त को शामिल किए जाने वाले सम्मनों पर यह कह सकता है कि वह आरोप की सुनवाई के लिए निर्धारित तारीख से पहले पंजीकृत पत्र द्वारा आरोप का दोषी होने का अभिवचन कर सकता है और न्यायालय द्वारा यथानिर्धारित न्यायालय में जमा करवा दे ।

(2) जब कोई अभियुक्त दोषी होने का अभिवचन करता हो और सम्मनों में उपधारा-(1) के अन्तर्गत निर्धारित राशि जमा करवा देता हो तो इस व्यक्ति के खिलाफ इस अपराध के संबंध में कोई अन्य कार्यवाही नहीं की जाएगी ।

84. मजिस्ट्रेट द्वारा लगाए गए दण्डों एवं जुर्मानों की वसूली ।-

किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष दोष सिद्ध होने पर इस अधिनियम के अन्तर्गत लगाए जाने वाले दण्डों एवं जुर्मानों पर भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 64 से 70 तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-386 से 389 तक के उपबंध लागू होंगे ;

वशर्ते कि भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 65 में कुछ भी उल्लिखित होने के बावजूद, इस अध्याय की धारा-73, 78 और 79 के अन्तर्गत लगाए किसी भी व्यक्ति को ऐसे जुर्माने का भुगतान न करने पर किसी भी अवधि के कारावास से दण्डित किया जा सकता है जो आठ दिन से अधिक नहीं होगी ।

85. कार्रवाई की सीमा ।-

कोई भी न्यायालय दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-468 में उपबंधित सीमा अवधि की समाप्ति के पश्चात् इस अध्याय के अन्तर्गत किसी भी अपराध के लिए संज्ञान नहीं होगा । सीमा अवधि की गणना करने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता के अध्याय XXXVI के प्रावधान लागू होंगे ।

अध्याय X

विविध ।

86. शुल्क एवं पुरस्कारों का निपटान ।-

इस अधिनियम के अंतर्गत जारी लाइसेंसों या लिखित अनुमति हेतु सभी शुल्क और पुलिस अधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाईयों में सेवाओं के लिए भुगतान की गई सभी राशियां एवं सभी पुरस्कार, जस्त्रियां और दण्ड या उन सभी में हिस्सेदारी, जो कि कानूनी सीमा पर मुखबिरों के रूप में पुलिस अधिकारियों को देय है, के अतिरिक्त ऐसा कोई राशि जो लागू हुए किसी अधिनियम के प्रावधानों के तहत किसी स्थानीय प्राधिकारी से संबंधित हो वे सरकार के जिम्मे होंगे ।

परन्तु यह कि सरकार के अनुमोदन सहित या उस संदर्भ में सरकार द्वारा बनाए गए किसी कानून के तहत विशेष सेवाओं हेतु किसी ऐसे पुरस्कार, जस्त्री या आर्थिक दण्ड की सम्पूर्ण राशि या कोई भाग को किसी एक पुलिस अधिकारी या दो अथवा अधिक पुलिस अधिकारी के मध्य बांटा जाना हो ।

87. आदेशों एवं अधिसूचनाओं का प्रमाण देने की विधि ।-

इस अधिनियम के किसी प्रावधान के अंतर्गत राज्य सरकार या किसी मैजिस्ट्रेट या अधिकारी द्वारा प्रकाशित या जारी किए गए किसी आदेश या अधिसूचना एवं उसके समुचित प्रकाशन या उसके संस्करण को उसकी सरकारी राजपत्र को प्रति या उसकी प्रतिलिपि, जो उसी मैजिस्ट्रेट या अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो तथा उनके द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो कि वह अधिनियम के लागू होने वाली धारा के प्रावधानों के अनुसार प्रकाशित या जारी किए गए मूल की वास्तविक प्रतिलिपि है, को प्रस्तुत किए जाने पर प्रमाणित किया जा सकता है ।

88. नियमों एवं आदेशों की वैधता ।-

इस अधिनियम के किसी प्रावधान के अंतर्गत या उसके तहत बनाए गए किसी नियम के, जो उसके साथ पर्याप्त अनुरूपता रखते हो के अंतर्गत बनाया गया या प्रकाशित कोई भी नियम, विनियम, आदेश, निर्देशन या अधिसूचना एवं कोई भी निर्णय, की गई जांच या कार्रवाई स्वल्प में त्रुटि के कारण अवैध, अमान्य या रद्द समझी जाएगी ।

89. शक्ति प्रयोग करने में सक्षम पदों की शक्तियों का प्रभार संभालने या संभालने वाले अधिकारी ।-

जब कभी भी किसी आयुक्त, मैजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी का पद रिक्त होने की परिस्थिति में कोई भी अधिकारी ऐसे आयुक्त, मैजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी के कार्यालय का प्रभार अस्थायी या स्थायी रूप से संभालता या संभालने वाला होता है तो ऐसा अधिकारी उन सभी शक्तियों का प्रयोग करने तथा सभी कार्यों को करने के लिए सक्षम होगा जो कि इस अधिनियम द्वारा क्रमशः प्रदत्त एवं लागू ऐसे किसी आयुक्त, मैजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी, जैसा भी मामला हो, द्वारा प्रस्तुत किए जाते ।

90. लाइसेंसों तथा लिखित अनुमति में शर्तों का उल्लेख किया जाना चाहिए तथा वे हस्ताक्षरित किए जाने चाहिए ।-

(1) इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत जारी प्रत्येक लाइसेंस या लिखित अनुमति में, अधि एवं स्थान तथा उन शर्तों और प्रतिबन्धों का उल्लेख किया जाएगा जिनके अधीन इसे जारी किया गया है तथा इसे सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर से जारी किया जाना चाहिए । और उतनीं ऐसे प्रभारित शुल्क का भी वहाँ उल्लेख हो जैसा कि इस संदर्भ में इस अधिनियम के अंतर्गत किसी नियम के अनुसार निर्धारित किए गए हों ।

(2) लाइसेंसों का रद्द किया जाना । - इस अधिनियम के अंतर्गत जारी किए गए किसी भी लाइसेंस या लिखित अनुमति को किसी भी समय सक्षम पदाधिकारी द्वारा निलंबित या रद्द किया जा सकता है यदि इसकी किसी भी

हर्त या प्रतिबंध या उत्संघन या अपवचन उस व्यक्ति द्वारा किया जाता है जिसे यह लाइसेंस जारी किया गया हो या वह व्यक्ति ऐसे किसी भी मामले में, जो कि लाइसेंस या अनुमति में संबंधित हो किसी भी अपराध या दोषी पाया जाता है।

(3) जब कोई लाइसेंस रद्द किया जाता है तो उस लाइसेंसधारी को लाइसेंस विहीन समझा जाएगा:

जब कभी भी ऐसे किसी लाइसेंस या लिखित अनुमति को निलंबित या रद्द किया जाता है अथवा जब कभी यह अवधि, जिसके लिए यह जारी की जाती है समाप्त हो जाती है तो उस व्यक्ति को जिसे यह जारी किया गया था, उसे इस अधिनियम के सभी प्रयोजनों हेतु लाइसेंस या लिखित अनुमति विहीन समझा जाएगा जब तक कि जैसा भी मामला हो उसे निलंबित या रद्द करने वाले आदेश को निरस्त न किया जाए या जब तक कि उसका नवीकरण न किया जाए।

(4) मॉरी जाने पर लाइसेंसधारी को लाइसेंस एवं अनुमति प्रस्तुत करना होगा। - प्रत्येक व्यक्ति को जिसे ऐसा लाइसेंस या लिखित अनुमति प्रदान की गई हो उन्हें उसके लागू रहने के दौरान पुस्तित अधिकारी द्वारा मॉरी जाने पर प्रस्तुत करना होगा।

स्पष्टीकरण: इस धारा के प्रयोजनों के लिए कोई भी नोकर या अन्य एजेंट जो कि उस व्यक्ति के स्थान पर कार्य कर रहा होता है जिसे लाइसेंस या लिखित अनुमति प्रदान की गयी है, द्वारा किए गए उत्संघन या अपवचन या दोषी पाए जाने पर उस व्यक्ति, जिसे ऐसे लाइसेंस या लिखित अनुमति प्रदान की गई है, द्वारा किया गया उत्संघन या अपवचन, जैसा भी मामला हो, समझा जाएगा।

91. सर्वसाधारण नोटिस किस प्रकार दिया जाना चाहिए। -

इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दिए जाने वाले सर्वसाधारण नोटिस हेतु आवश्यक है कि यह लिखित रूप में हो तथा सभ्य प्राधिकारी द्वारा

हस्ताक्षरित हो तथा प्रकाशित क्षेत्र के प्रमुख स्थानों पर उसकी प्रतियाँ विपणकी जाएं या बोल चोटकर घोषणा की जाए या उसे ऐसे स्थानीय साप्ताहिक पत्रों - हिन्दी या उर्दू या अंग्रेजी - जैसा भी प्राधिकारी उचित समझे प्रकाशित कराया जाए या इनमें किसी दो या उससे अधिक भाषाओं के द्वारा तथा कोई और माध्यम जो उचित समझे जाए द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी में लाया जाए।

परन्तु यह कि सभ्य प्राधिकारी बिना पूर्व प्रधान के ऐसे निर्देशन या विनियम बना सकते हैं जब वे पूरी तरह से संतुष्ट हो कि कालांतर पश्चात् से कोई विनियमन बना लोकहित में होगा।

92. सभ्य प्राधिकारी की सहमति, उनके हस्ताक्षर से लिखित रूप में दिए जाने पर, प्रमाणित गानी जा सकती है। -

जब कभी भी इस अधिनियम के अंतर्गत कुछ किया जाना या कुछ हटाया जाना या किसी धीज को वैधता सभ्य प्राधिकारी की सहमति, अनुमोदन, घोषणा, मत या संतुष्टि पर निर्भर होता है तो सभ्य प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित लिखित दस्तावेज धारक के प्रति ऐसे आशय हेतु सहमति, अनुमोदन, घोषणा, मत या संतुष्टि के लिए पर्याप्त साक्ष्य होंगे।

93. नोटिसों पर हस्ताक्षर, मुहर रूप में भी हो सकते हैं। -

इस अधिनियम या इसके अंतर्गत किसी नियम के तहत आवश्यक हर लाइसेंस, लिखित अनुमति, नोटिस या अन्य दस्तावेज जो कि सम्मन या वारंट या सर्व वारंट न हो, पर सभ्य प्राधिकारी के हस्ताक्षर हुए हों को भी सही तरीके से हस्ताक्षर किया गया समझा जाएगा अगर उस पर उनके हस्ताक्षर मुहर रूप में अंकित हों।

94. नियम बनाने की शक्ति। -

इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने हेतु सरकार नियम बना सकती है।

95. कठिनाइयों दूर करने की शक्ति । -

(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को लागू करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती हो तो सरकार राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से ऐसे उपबंध कर सकती है जिसे वह कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या उचित समझती हो;

(2) इस धारा के तहत जारी प्रत्येक अधिसूचना के जारी होने के पश्चात् यथाशीघ्र यथोचित विधानमंडल के समक्ष रखा जाएगा ।

96. राजपत्र में, नियमों एवं विनियमनों की अधिसूचना और नियमों एवं विनियमनों का प्रस्तुत किया जाना । -

(क) इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाया गया प्रत्येक नियम एवं विनियम राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा ।

(ख) इस अधिनियम के अन्तर्गत बने प्रत्येक नियम एवं विनियमन को बनाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान मंडल के समक्ष वैसे सत्र के दौरान रखा जाएगा जो कुछ तीस दिनों की अवधि की हो, जिसमें एक सत्र या दो या अधिक लगातार सत्र शामिल हो सकते हैं और यदि किसी सत्र या लगातार सत्र से पहले सत्र की समाप्ति से पूर्व, जैसा भी मामला हो, दोनों सदन नियम या विनियमन में किसी संशोधन हेतु सहमत होते हैं या दोनों सदन इस बात पर सहमत होते हैं कि नियम या विनियमन न बनाए जाएं तो तत्पश्चात्, जैसा भी मामला हो, वह नियम या विनियमन केवल संशोधित रूप में प्रभावी होगा या इसका कोई प्रभाव नहीं रहेगा तथापि ऐसा कोई भी संशोधन या विलोपन उस नियम या विनियमन के तहत पूर्व में की गई किसी बात की वैधता की शक्ति नहीं पहुँचाएगा ।

97. निरसन एवं व्यावृत्ति । -

(1) पुलिस अधिनियम, 1861, जहाँ तक उसका संबंध बिहार राज्य से हो, एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है ।

(2) बंगाल सैन्य पुलिस अधिनियम, 1892 (1892 का V) जहाँ तक इसका संबंध बिहार राज्य से हो, एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है, ऐसा निरसन के बावजूद, अधिनियम 1892 का V के अधीन सैन्य पुलिस अधिकारी के विद्यमान श्रेणी और ग्रेड तबतक विद्यमान रहेंगे जबतक कि नया बिहार सैन्य पुलिस हस्तक बना नहीं लिया जाता ।

(3) ऐसा निरसन के बावजूद इस नियम के अन्तर्गत किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई या चलायी गई कोई कार्यवाही इस अधिनियम के अन्तर्गत किया गया कार्य या की गई कार्रवाई या चलायी गई कार्यवाही समझी जाएगी ।

(4) इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान के किसी भी अधिनियम के सभी संदर्भ, जिन्हें निरस्त किया गया हो, उसे इस अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के संदर्भ के रूप में लिया जाएगा ।